सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा   28 मार्च, 2018 ई0

-------------   मंगलवार, तिथि --------------

नवम् सत्र   07 चैत्र, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11: 00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है । एस.टी./एस.सी. मामले जिस तरह से हो रही है, पूरा देश जल रहा है, बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर के विचाराधारा को खंडित किया जा रहा है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री शिवचन्द्र राम : प्रोन्नति में आरक्षण हो, बैक लॉग हो (व्यवधान) कानून बनाने का काम करें . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम जी, आपने जो दिया है कार्य स्थगन, एक तो कार्यस्थगन प्रस्ताव भी उठाने का वक्त निश्चित है पहली बात । दूसरी बात, आसन की कभी मंशा यह नहीं है कि आपने जो मुद्दा कार्य स्थगन में दिया है वह कम महत्व का है, आसन तो कह नहीं रहा है, इसलिये आप समय पर उठाइयेगा, उस समय हम उस पर जो नियमन होगा दे देंगे ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं महोदय, कोर्ट के निर्णय पर यहां क्या बहस हो सकती है । यहां उस विषय से क्या मतलब है । जानबूझ कर केवल राजनीति करना चाहते हैं । यहां क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यहां बहस हो सकती है क्या महोदय ? या कार्यस्थगन हो सकता है क्या?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न को चलने दीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शिवचन्द्र जी कानून यहां नहीं न बनना है । कानून यहां नहीं बनना है । चलिये बोलिये ललित जी, क्या बोल रहे हैं, ललित जी क्या बोल रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर हूँ ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कल जो बिहार विनियोग विधेयक था और महोदय मतगणना का हमलोग मांग किये, एक तरफ तो महोदय आसन तो सर्वोपरि है, आसन निरपेक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है महोदय, आसन है महोदय, आसन सर्वोपरि है और निरपेक्ष है, हमलोग, आसन हमेशा विधान सभा में कोई भी घटना घटी है तो मर्यादा बचाती रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कल जो 2018 विनियोग विधेयक था महोदय, हमलोग "ना" के पक्ष में बहुमत था महोदय, हमलोग बार बार मतदान का मांग करते रहे महोदय तो हमलोग आसन से संरक्षण चाहेंगे उस पर.......

अध्यक्ष : ठीक है ललित जी ।

(व्यवधान)

ठीक है बोलिये ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल खड़ा किया है महोदय, मुझ बड़ा आश्चर्य हो रहा है महोदय, सब पढ़े-लिखे लोग हैं महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली है महोदय, बड़ा साफ उसमें लिखा हुआ है महोदय कि जब मतदान की नौबत आती है तो जो प्रक्रिया, पहले की बात छोड़ दीजिये आप , अब गेट बंद कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति का आना और जाना नहीं हो सकता है, उसके बाद महोदय धारा-56 देखिये, धारा-56 में इस बात का प्रोविजन है गेट बंद करने के बाद एक बार फिर, एक बार फिर, विधान सभा अध्यक्ष "हां -ना" का सवाल खड़ा करेंगे, आपने महोदय "हां-ना" का सवाल खड़ा किया और महोदय आपको ध्यान में होगा पूरा कैमरा लगा है महोदय, एक भी माननीय सदस्य ने खड़ा होकर के यह नहीं कहा कि यहां विपक्ष का बहुमत है, एक भी नहीं कहा, सब बैठे रह गये महोदय । (व्यवधान) पढ़े लिखने से मतलब नहीं हैं महोदय । जिन लोगों को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है वही लोग इस तरह की बात खड़ा कर सकते हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपने आसन को सर्वोच्च बतलाया है, सर्वमान्य बतलाया है, आसन भी पूरे सदन की इस भावना की कद्र करता है । जो संविधान सम्मत प्रक्रिया है या विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली जो करने की हमें इजाजत देता है या जो प्रक्रिया निर्धारित करता है आसन उसी से चलता है और उसी से चलने के लिए बाध्य है, हम उससे अलग नहीं जा सकते हैं । पहले भी यह सदन साक्षी रहा है और आप सभी माननीय सदस्य साक्षी हैं कि जब कभी विभाजन की इस तरह की बात या मांग की गई है, आसन को कभी कोई इससे गुरेज, परहेज नहीं

हो सकता है क्योंकि ये सदन की जो प्रक्रिया निर्धारित है किसी विषय पर अगर सदस्य चाहेंगे तो यह सदन साक्षी है, हमने तो खड़े होकर गिनती के बजाय, जो दोनों वेश्म है, उसमें विभक्त होकर भी मतदान कराया है, आसन को कभी किसी चीज से परहेज नहीं हो सकता है इसलिये पूरे सदन से हम आग्रह करते हैं कि आसन की निष्पक्षता का ख्याल रखिये । आसन आपको पूरे तरीके से मुतमईन करता है, आश्वस्त करता है कि आसन कभी भी किसी पक्ष में नहीं डोल सकता है, आसन हमेशा सीधा चलता है और आसन सीधा चलेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : आपके सामने हमने कहा कि आसन सर्वोपरि है, आसन निरपेक्ष है महोदय लेकिन आप कल का फुटेज निकाल लीजिये महोदय जितनी भी मतदान की प्रक्रिया होती है हम लोगों ने कहा कि ना के पक्ष में बहुमत है महादय, टी.वी. फुटेज है महोदय, उसको निकलवा कर देखिये. ....

अध्यक्ष : ठीक है, आप आइयेगा आपसे हम टी.वी. फुटेज के बारे में भी बात कर लेंगे । ठीक है, अब प्रश्न चलने दीजिये वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सदन में जो सदन के सदस्य नहीं हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बाहर किया जाय तो आपने कहा कि आप आश्वस्त रहें इन लोगों को वोट करने नहीं देंगे लेकिन इन दोनों आदमी के बैठने से कल बाधित हुआ और वोटिंग नहीं ये लोग करने दिया ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-40(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 : अंशत: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लागू मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुसार जिले में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित पात्र पी.पी.एल. परिवारों को जिला स्तर से आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान करने के पश्चात् राशि की प्रतिपूर्त्ति होती सीधे केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाता था, केन्द्र सरकार से राशि की विमुक्ति के पश्चात् विभाग द्वारा समानुपातिक राज्यांश की विमुक्ति की जाती थी, केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2016-7 में इन्दिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसमें योजना के कार्यान्वयन का आधार बी.पी.एल. सूची के स्थान पर एस.इ.सी.सी., 2011 के भारत सरकार से प्राप्त आवास विहिन परिवारों को बनाया गया है । योजनान्तर्गत आपदा पीड़ित परिवारों को जिला स्तर से विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान किया गया है ।

खंड-2- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पुराने प्रावधान के तहत कतिपय जिलों से विशेष परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये थे परन्तु प्रावधानों के परिवर्त्तन के कारण जिलों को नये प्रावधानों के तहत विशेष परियोजना प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया है । जिलों से नये प्रावधानों के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उनकी समीक्षा करके अनुमोदन हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जायेगा । महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ पाने हेतु.. क्रमशः

टर्न-2/28-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः आवास का लाभ पाने हेतु बी0पी0एल0 सूची के स्थान पर एस0ई0सी0सी0 2011 के आवास हीन परिवारों को आधार बनाने एवं सूची के सत्यापन के कारण प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है ।

3- उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 13-14 से इस प्रकार का प्रावधान है कि बिहार सरकार विभिन्न जिलों से प्राकृतिक आपदा से जो पीड़ित हैं और उनके आवास की सूची बनाकर इम्पावरमेंट कमिटी भारत सरकार को भेजती रही है लेकिन महोदय, मेरे पास पत्र है पिछले वर्ष 3 मार्च, 2017 का और मैंने खुद भी जाकर विभाग में इसका पता लगाया, तो किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव आज तक नहीं आया, एक साल बीत गया महोदय, प्राकृतिक आपदा में जिसका भी घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो लोग सड़क पर आने के लिए और इधर उधर आसरा लेने के लिए मजबूर होते हैं । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर आज तक इस प्रकार के प्रावधान में कितने लोगों का प्रस्ताव आया और कितने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए और भेजे गए तो उनको राशि की विमुक्ति हुई कि नहीं, ये जरा माननीय मंत्री जी बतायें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है अपने उत्तर में लेकिन माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कितने जिले से प्राप्त हुए हमारे पास, जिलों की सूची प्राप्त है । माननीय सदस्य कहेंगे, तो हम पढ़कर सुना भी देंगे, माननीय सदस्य कहेंगे, तो इनको भेजवा भी देंगे, दोनों स्थिति हमारे पास है ।

अध्यक्षः यह तो सभी माननीय सदस्यों की रुचि की बात है ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मिथिलेश तिवारीः मेरा पूरक खत्म नहीं हुआ है, माननीय सदस्य विजय शंकर दूबे जी ।

अध्यक्ष: इसीलिए माननीय सदस्य दूबे जी, हमने कहा कि यह सभी सदस्यों की रुचि का प्रश्न है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे पास सूची उपलब्ध है, मैं सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा, अच्छी बात है । मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कर क्या रहे हैं कि इस प्रकार की सूची जिलों से नहीं मंगाते हैं और मंगाकर समय पर भेजते नहीं है, बिहार के लाखों गरीबों का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी समय सीमा निर्धारित करें और समय सीमा निर्धारित करके ये सदन को बतायें कि कब तक ये पूरी सूची लेकर भारत सरकार को भेज देंगे ?

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जिज्ञासा वाजिब है । गरीबों से जुड़ी हुई यही योजना है । भारत सरकार को 13-11-2017 को पत्र भेजा गया है और जब 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना नामकरण हो गया, तो भारत सरकार ने कहा, आप जो बी0पी0एल0 को आधार मान कर आपने सूची उपलब्ध करायी है, उसको सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना के हिसाब से प्रस्ताव दीजिये, फिर हमने पत्र लिखा कि चूँक ये पहले का मामला है, गरीब से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो अग्नि पीड़ित परिवार हैं, उनको बी0पी0एल0 सूची मान करके ही, इसकी स्वीकृति प्रदान की जाय, तो इस आशय का पत्र भारत सरकार को लिखा गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द बी0पी0एल0 के आधार पर ही उन गरीबों को लाभ मिल जायेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, बी0पी0एल0 का सवाल ही नहीं है । सवाल तो यह जो एस0ई0सी0सी0 डाटा के अनुसार हो रहा है और अगर एस0ई0सी0सी0 डाटा के अनुसार होगा, तो ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो जब तक यह बी0पी0एल0 आधारित था, तब तक भेजा गया कि नहीं और जब से इसमें चेंजेज हुए एस0ई0सी0सी0 डाटा के अनुरुप हो रहा है, तो भेजने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का दो अंश है एक तो जो प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जो एक रेगुलर एलोकेशन होता है, आम तौर पर जो आवास बनाने का आता है, आपदा पीड़ित लोगों के लिए कोई विशेष योजना के तहत अलग से आवंटन आता है ? हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि इस प्रश्न में विशेष फोकस है आपदा पीड़ित का।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो आपदा पीड़ित परिवार हैं, अग्नि पीड़ित हैं, उनके घर को नुकसान हुआ, जो क्षति पहुंची महोदय, उसमें बी0पी0एल0 परिवार में जो 2016-17 से पहले जो बी0पी0एल0 परिवार की सूची थी, उसकी बी0पी0एल0

परिवार को आवास की सुविधा हम दे सकते हैं और इसमें अगर नाम नहीं है, तो वो तो विषय है, आपदा प्रबंधन का तो हमारे जिम्मे जो ग्रामीण विकास के जिम्मे है, जो लिस्टेड बी0पी0एल0 परिवार में उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की जायेगी और फिर जो सामाजिक, आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए हैं, अगर उस कैटेगरी में आयेंगे महोदय, तो उस हिसाब से लेकिन बी0पी0एल0 परिवार में जो लोग हैं, उनको ज्यादा लाभ होगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, खण्ड-2 के आलोक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुराने प्रावधान के तहत विभिन्न जिलों को भेजा गया था, फिर प्रावधान बदल गए और नये प्रावधान के हिसाब से विभिन्न जिलों से मांगा गया, मतलब मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है, फिर ये माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी के पूरक में इन्होंने कहा कि 13-11-2017 को केन्द्र सरकार को भेजा गया था, तो ऐसी स्थिति में यह जानना चाहते हैं कि पुराना प्रावधान क्या था, नया प्रावधान क्या है और नये प्रावधान के तहत आपने कब किन जिलों को भेजा और उनके यहाँ से अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट आयी?

अध्यक्ष: वह तो बताए थे न कि वह पुराना बी0पी0एल0 की सूची थी और नया में जाति आधारित जनगणना जो है, उसके आधार पर सूची कहा गया है, इसी का फर्क वो बता रहे थे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: नहीं नहीं महोदय । ये तो है न कि अब यही बता दें कि जो नये प्रावधान के तहत विभिन्न जिलों से जो सूची मांगी गयी है, वह कब मांगी गयी है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को स्पष्ट किया है अपने प्रश्न के उत्तर में, अगर बी0पी0एल0 परिवारों की सूची के आधार पर अग्नि पीड़ित परिवारों को आवास अगर उपलब्ध कराने की बात जब हम करेंगे महोदय, तो बिहार के गरीबों को ज्यादा लाभ मिलेगा और सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर जो 2011 में हुए हैं, जनगणना उसके आधार पर अगर भेजेंगे, तो कम परिवारों को उसका लाभ मिलेगा, इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि हम पुराने पद्धति से पुराने जो बी0पी0एल0 परिवार की सूची थी, उसी सूची के आधार पर भारत सरकार को पुन: पत्र भी लिखा है कि जल्द से जल्द इसी सूची के आधार पर ये सुविधा बिहार को मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पुराने प्रावधान के हिसाब से और नये प्रावधान के हिसाब से सूची राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को गयी उनसे स्वीकृति नहीं मिली, मेरा यह कहना है महोदय कि ये पूरे राज्य का सवाल है, आपदा पीड़ित एक भी परिवार को पूरे राज्य में इस योजना का लाभ अब तक सरकार नहीं दिला पायी है, यह बात सत्य है और आज तक भारत सरकार से एक

भी आपदा पीड़ित के लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई, मकान उसके नहीं बने, वह आज तक तय नहीं हुआ है । महोदय, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार नये प्रावधान या पुराने प्रावधान के हिसाब से बी0पी0एल0 परिवार के, परिवार में से सूची नया बना करके, कब तक जो उपलब्ध सूची है, इसकी स्वीकृति कराना चाहते हैं और गरीबों को लाभ देना चाहते हैं ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, दूबे जी बहुत पुराने सदस्य हैं । मैंने कहा है कि जो बी0पी0एल0 परिवार में हैं और नीचे के स्तर पर जो हमारे प्रखंड हैं, जो हमारे पंचायत है, जहां इस तरह की घटना दुर्घटना होती रहती है, तो बी0पी0एल0 परिवार जो उस समय होंगे महोदय, उनको लाभ मिलता रहा है, यह तो हम एडीशनल सूची बना रहे हैं राज्य भर में कि और ऐसे कौन कौन लोग छूटे हुए हैं, उनके लिए सरकार चिन्तित हैं फिर क्यों इस तरह का सवाल उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष: अब अंतिम पूरक होगा । अब समय भी समाप्त होगा । अंतिम पूरक श्री राहुल तिवारी ।

श्री राहुल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, यह सूची का मामला नहीं है, यह मामला आपदा विभाग से है, मेरा कहना यह है कि इसमें जो आपदा के तहत जिसमें आग लग जाती हो या बाढ़ से उनका मकान क्षतिग्रस्त हो जाता हो, उसकी सूची अलग से केन्द्र सरकार के यहाँ जाती है, वहाँ से एप्रूभल होने के बाद जिनकी सूची में नाम नहीं है या पीछे है, उसकी प्रायरिटी को देखते हुए उनका मकान जो है, जो जल के खराब हो गया हो, उसके मकान निर्माण कराने का पैसा एलौटमेंट होता है, उसको उस सूची से महोदय, कोई मतलब नहीं है । बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 से कोई मतलब नहीं हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है । क्या है आलोक जी आपका ?

श्री आलोक कुमार मेहता: नये और पुराने प्रावधान के अनुसार कब पत्र भेजा गया और अब तक कितने जिलों से उसकी सूची उपलब्ध करायी गयी, सरकार उसकी कोई समीक्षा करना चाहती है कि देर हुआ तो क्यों हुआ और उसको जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था कराईये ।

अध्यक्ष: अवधेश बाबू, आप भी पूछ लीजिये ।

टर्न-3/28.3.2018/बिपिन

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: अवधेश बाबू आप भी पूछ ही लीजिए । अब एक ही प्रश्न में अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त हो जाएगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने इसकी अहमियत को पकड़ा है और आपने कहा कि पूरे सदन का मामला है ।

हम माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहते हैं कि यह स्कीम 2013-14 से है जो माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी ने पूछा और काफी विस्तृत रूप में मंत्रीजी ने जवाब दिया ।

महोदय, मैं यह चाहता हूं कि अग्नि पीड़ित बिहार में आज के दिन जो इतना अग्नि कांड हो रहा है और गरीब की झोपड़ी जल रही है । क्या सरकार विशेष परिस्थिति में इस स्कीम के तहत आपदा विभाग से उन गरीबों की झोपड़ी को ईंट का मकान बना सकती है या बनाने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष : आप सभी प्रश्न का समेकित जवाब दे दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री:अध्यक्ष महोदय, इनको तो गरीब से कोई मतलब है नहीं । ये तो गरीब के टोले पर कभी जाते नहीं हैं महोदय और हम व्यक्तिगत् रूप से भी जानते हैं कि गरीब के टोले पर नहीं जाते हैं ।

जहां तक माननीय सदस्य कोश्चयन पूछ रहे हैं महोदय, मैंने स्पष्ट कहा महोदय कि जो अग्नि पीड़ित लोग हैं या आपदा से पीड़ित लोग हैं, उनके मकान बनते रहे हैं महोदय । यह विशेष परियोजना बनाकर हम भारत सरकार में भेज रहे हैं और जल्द स्वीकृति लेंगे और माननीय सदस्यों की जो चिंता है, उसको जल्द-से-जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-41 (श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री नीरज कुमार सिंह: महोदय, यह अवैध वसूली का मामला है, इसके जवाब में जितना लेट होगा, प्रत्येक दिन जनता से अवैध वसूली किया जा रहा है डी.एम. के द्वारा महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, उसको अब राजस्व विभाग दिखवा ले ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-42 (श्री शिवचन्द्र राम)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अहर्त्ता प्राप्त निबंधित निर्माण समितियों को एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर साईकिल क्रय करने के बाद रसीद उपलब्ध कराए जाने पर रसीद में वर्णित राशि, साढ़े तीन हजार रूपया, इनमें से जो न्यूनतम होती है, देने का प्रावधान है । एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने वाले अर्हता प्राप्त निबंधित निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षणोत्तरपरांत उनके प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय का अधिकतम 15 हजार रूपया औजार देने का प्रावधान है । तीन वर्ष की लगातार सदस्यता वाले निबंधित निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो व्यस्क पुत्रियों अथवा स्वयं महिला सदस्यों के विवाह के लिए 50 हजार रूपया देने का प्रावधान है । निबंधित निर्माण श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात् एक लाख

रूपया तथा दुर्घटना मृत्यु के पश्चात् चार लाख रूपया उनके आश्रितों को देने का प्रावधान है । यदि दुर्घटना मृत्य आपदा के समय होती है एवं जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया हो, ऐसी स्थिति में एक लाख रूपया देने का प्रावधान है ।

2- योजनाओं का लाभ निबंधित निर्माण श्रमिकों या उनके वैद्य आश्रितों को देने का प्रावधान है ।

3- बिहार भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का निबंधन एक सतत प्रक्रिया है । बोर्ड के अंतर्गत कुल 9,42,080 श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है ।

4- बोर्ड के द्वारा पंचायत स्तर पर अधिक-से-अधिक संख्या में निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया जा रहा है । पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर निर्माण श्रमिकों से आवेदन प्राप्त कर प्रखंड जिला सत्यापन समिति से सत्यापन के पश्चात् निबंधन की जा रही है । असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम विभाग द्वारा बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 लागू है जिसमें दुर्घटना मृत्यु की दशा में मृतक के वैद्य आश्रितों को एक लाख, स्वाभाविक मृत्यु की दशा में तीस हजार की राशि दी जाती है । अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5925 लाभुकों के बीच 32,56,17,500 का वितरण किया गया है ।

अध्यक्ष: अब तो माननीय मंत्री जी ने इतने आंकड़े दे दिए, सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि अनिबंधित, असंगठित मजदूर के लिए अभी कोई योजना नहीं है और जिनको लाभ लेना है उनको सूचीबद्ध करा देना होगा । इनके इतने देर आंकड़े देने का यही मतलब था ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जो जवाब लिखकर इनके पदाधिकारी ने दिया है, हमको लग रहा है कि यह सत्य से परे है । एक स्थितियां जो राज्य में चल रही है असंगठित मजदूरों के प्रति, जो साईकिल देना है और इनके पास जो आंकड़ा आया है, आंकड़ा का जाल बिछाकर हमको संतुष्ट करना चाहते हैं या ये आसन को संतुष्ट करना चाहते हैं । यह सही है कि बिहार में कहीं भी, इनको करना था कि वार्ड लेवेल पर सर्वेक्षण करना था लेकिन कहीं कोई सर्वेक्षण वगैरह कहीं आज तक नहीं हुआ । आप भी हुजूर कहीं के मेम्बर हैं, हम भी कहीं के मेम्बर हैं । कहीं भी नहीं, कहीं न कोई कैम्प लगाया गया, हम इतना ही कहना चाहते हैं मंत्रीजी से कि बिहार के किसी एक पंचायत को ये जांच कराकर देख लें कि कब-कब शिविर लगाई गई और कब-कब मजदूरों को दिया गया, यह करा कर देखने का काम करेंगे क्या ?

अध्यक्ष: आपके लिए बहुत सरल सुझाव इन्होंने दिया है- किसी एक पंचायत का जांच कराकर आप देख लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य को हमने बताया कि यह शिविर कई जिले के अंदर शुरू है । आप पंचायत बता दें, हम उस जिला का जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे । हमने तो इस सदन के अंदर माननीय सदस्यों को बाजाप्ता लेटर दिया है महोदय कि आप शिविर लगवाएं । सारे माननीय सदस्यों को भी पत्र दिया गया है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: महोदय, इसमें आठ लाख असंगठित हैं जिनका नहीं निबंधन हुआ है और दूसरा इसमें सवाल जो है, वह इन्हीं के उत्तर से निकला है । इन्होंने कहा कि अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है ताकि निबंधित हो सकें, जबकि अवेयरनेस के नाम पर कहीं किसी जगह पर, ठीक ही कहा माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र जी ने कि कहीं पर कोई कार्यक्रम आपका नहीं चल रहा है । हुनरमंदों को अगर पंद्रह हजार देना है रोजगार सृजन के लिए जो उसके मानक को तय करता जो इस पेशे में लगा हुआ है तो इसमें अभी तक जो फलाफल सामने आया है, यह आप मानकर चलिए कि दस परसेंट भी लोग भी इसमें लाभान्वित नहीं हो पाए हैं बल्कि विज्ञापन में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस के नाम पर पैसे खा रहे हैं और नीचले जो आपके इंस्पेक्टर रैंक के जो लोग हैं, जिनके यहां लोग जाकर लगाता है, मिलता तक नहीं है और उनलोगों को लाभ भी नहीं पहुंच रहा है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सर्वे कराकर योजना चला रहे हैं, दे रहे हैं, तो जो मजदूर रोजगार के लिए राज्य से बाहर रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो वैसे मजदूर कितने हैं और कितने लोगों को माननीय मंत्रीजी ने विभाग से अभी तक लाभ दिलवाया है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री: प्रवासी मजदूर के बारे में, महोदय, बोल रहे हैं । इसका अलग से प्रश्न लाएंगे तो इसका डिटेल विवरण हम उपलब्ध करवा देंगे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, लेकिन माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य का सुझाव सही था और इन्होंने तो आपको रचनात्मक सुझाव दिया है कि किसी पंचायत की जांच करा लीजिए। उनकी मंशा है कि सब जगह आपकी नीति लागू हो जाए । इतना ही तो वे चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री: महोदय, उस पंचायत का हम जांच करवा देंगे, जहां के लिए ये बताएंगे । हम जांच करा देंगे, आप नाम बता दीजिए ।

अध्यक्ष: आप नाम दे दीजिए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय, राजापाकड़ दक्षिणी वैशाली जिला का ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी लाभान्वित हो जाएंगे । बाद ही में सही या सदन के पटल पर ये रख दें कि कहां-कहां किन-किन पंचायतों में निर्बाधित कराए गए हैं ताकि सभी माननीय सदस्यों का मिल जाएगा, वो देख लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । वह दे दीजिए ।

टर्न: 04/कृष्ण/28.03.2018

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । तारांकित प्रश्न संख्या- 845 माननीय सदस्य श्री हरिशंकर यादव । यह प्रश्न पूछा हुआ है । माननीय मंत्री,पंचायती राज विभाग

तारांकित प्रश्न संख्या : 845(श्री हरिशंकर यादव)

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. उक्त मस्जिद एवं इमामबाड़ा परिसर में आंशिक रूप से जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है । नाला निर्माण हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायत समिति हुसैनगंज के मद से नाला निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका योजना संख्या-1/2015-16 है एवं प्राक्कलित राशि 3,01,700/-रू0 है परंतु दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण उक्त नाला का निर्माण लंबित है ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, तीसरा बार में तीतर पकड़ाया है । जरा, सुन लिया जाय । सर, तीन-चार वर्षो से मस्जिद और इमामबाड़ा में नाला का गंदा पानी से होकर नमाजियों लोग जाकर नमाज करते है और उसी गंदा पानी से होकर निकलते हैं । हम प्रखंड विकास पदाधिकारी,हुसैनगंज को भी पत्र लिखे थे । लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई । अब माननीय मंत्री जी, आप ही बताईये कि बुढ़े-बुजुर्ग जो होते हैं, उनको मस्जिद में जाना मुश्किल है । हमलोग उनको टांग कर ले जाते हैं । जाड़ा के दिन में इतना गंजन हुआ है नमाजियों को, घुटनाभर गंदा पानी में घुसकर जाते थे और आते थे और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि योजना स्वीकृत है । तो हम जानना चाहते हैं कि कबतक बनवाने का काम करेंगे ?

अध्यक्ष : मा0 सदस्य श्री हरिशंकर बाबू । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पंचायत से नाली बनाने की योजना 3,01,700/-रू0 का स्वीकृत है । योजना प्रारंभ होने के समय दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। यही माननीय मंत्री जी ने बताया ।

श्री हरिशंकर यादव: महोदय, कोई विवाद नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि योजना स्वीकृत है और वहां विवाद है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है । आप निर्देश दीजिये कि माननीय सदस्य की सहायता लेकर उस योजना का क्रियान्वयन करावें ।

श्री हरिशंकर यादव : जी । माननीय सदस्य से भी हम अनुरोध करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, प्रश्न पूछा हुआ है, पंचायती राज विभाग । माननीय सदस्य नहीं है लेकिन पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर लाजिमी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1823 (श्री महबूब आलम)

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह योजना बी0आर0जी0एफ0 के तहत क्रियान्वित है । योजना संख्या -1/12-13 है और इसकी प्राक्कलित राशि 4,62,220/-रू0 है और 2,25,000/-रू0 इसपर व्यय किया जा चुका है ।

2. शेड का छत स्तर तक कार्य किया गया है । तीन माह में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । तारांकित प्रश्न संख्या 1838 माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी, पूछा हुआ प्रश्न है । माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1838 (श्री विनय बिहारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह नाला से संबंधित प्रश्न है । लेकिन माननीय सदस्य का स्थगित प्रश्न है । हम इसकी समीक्षा व्यापक तरीके से कर लेंगे और माननीय सदस्य को बुला लेंगे और किस ढंग से इसका निपटारा किया जायेगा, इसके बारे में हम समीक्षा करके निर्णय लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2303 (श्री अनिल सिंह)

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. फुलो पईन योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरांत योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराकर निधि उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अवनैया पईन की डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निधि उपलब्धता के आधार पर इन पईन का कार्य कराया जायेगा ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कई वर्षों से मैं यह प्रश्न हाउस में ला रहा हूं और निधि की उपलब्धता यही रटी-रटाई बात बतायी जा रही है ।

अध्यक्ष : आप कई बार से यही प्रश्न ला रहे हैं तो सरकार ने भी तो उत्तर नहीं बदला ।

श्री अनिल सिंह : नहीं बदला है अध्यक्ष महोदय । महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । महोदय, प्रश्न में दो पईन का जिक्र है । अवनईया पईन के बारे में माननीय मंत्री ने कहा कि स्वीकारात्मक है और फुलो पईन के बारे में कहा कि डी0पी0आर0 बनाया जायेगा और महोदय, दोनों का जवाब एक ही है कि निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि निधि की उपलब्धता कबतक हो जायेगी, एक समय-सीमा निर्धारित कर दें कि कबतक इन दोनों पईन का कार्य करा देंगे चूंकि मेरे यहां कोई बारामासी नदी नहीं है, बरसाती नदी है और इसके माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है । तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक समय-सीमा निर्धारित कर दें कि कब निधि उपलब्ध हो जायेगा और दोनों पईन का निर्माण कार्य करा देंगे?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : महोदय, किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिये निधि की आवश्यकता तो है ही । हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी जो चिंता है, उस चिंता से हम आपको मुक्त करा देंगे ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक समय-सीमा निर्धारित कर दें । यहां तक कि हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो अगर उसमें भी इनके पास निधि उपलब्ध न हो तो यही बता दें कि कबतक लेकिन समय-सीमा निर्धारित कर दें दोनों पईन का कि खोदाई और गाईड वाल का निर्माण कब करा देंगे ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कार्य को कराने के लिये समय तो चाहिये ही, ऐसा नहीं है कि आज हम चाहेंगे तो सब हो जायेगा । सर्वेक्षण होगा, उसमें भी समय लगेगा, फिर डी0पी0आर0 बनेगा,डी0पी0आर0 की स्वीकृति के बाद तकनीकी स्वीकृति होगी ।

अध्यक्ष : वही वह चाह रहे हैं कि जो-जो होना है वह हो जाय ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : महादेय, जब उसको करेंगे तो गति देंगे ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं । महोदय, एक पईन के बारे में इन्होंने कहा कि डी0पी0आर0 बन गया है, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । राशि की उपलब्धता होने पर करेंगे । एक योजना के बारे में इन्होंने कहा । दूसरी योजना के बारे में कहा कि उसका सर्वेक्षण करायेंगे । महोदय, इस काम में कितने समय लगते हैं ? मत्री महोदय ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है । यही बता दें कि पंचवर्षीय योजना होगा, पचास वर्षीय योजना होगा । सौ वर्षीय योजना होगा । महोदय, यह जवाब नहीं है । सदन के अंदर जवाब दे रहे हैं ।

एक तो प्रश्न पकड़ाता नहीं है और जब प्रश्न आता है तो उसके बाद इस तरह का जवाब आता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, इसको प्राथमिकता के आधार पर दिखवा लीजिये ।

श्री अनिल सिंह : हम समय-सीमा चाहते हैं । महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सदन ने माननीय मंत्री को बता दिया है कि इसको प्राथमिकता के आधार दिखवा लीजिये ।

श्री अनिल सिंह : महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं । एक समय-सीमा निर्धारित करवा दीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री प्राथमिकता देंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि निधि की उपलब्धता के बाद करवा देंगे । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस मार्च में लघु सिंचाई विभाग ने कितनी राशि सरेंडर किया है, यह सदन को बतायें ।

अध्यक्ष : इसका इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2304, माननीय सदस्य श्री शंभु नाथ यादव । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । मंत्री जी, एक मिनट । माननीय सदस्य अवधेश बाबु । आप जरा प्रश्न पढ़िये गौर से । अब आप सुनिये न । प्रश्न में अवनैया पईन और फुलो पईन के बारे में प्रश्न है । अभी कितनी राशि सरेंडर हो रही है और कितनी राशि का काम किया, इस प्रश्न के उत्तर में यह अपेक्षा की जाती है कि सारे चीज उपलब्ध होंगे ? यह नहीं हो सकता । चलिये । माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2304(श्री शंभुनाथ यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत केन्द्र एजेंसी एन0पी0सी0सी0 द्वारा कराया गया है । इस पथ की लंबाई 3.10 किलोमीटर है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुका है । यह पथ उन्नयन की अर्हता नहीं रखता है । अत: इसकी मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री शंभुनाथ यादव : महोदय, जो रोड अधूरा है, 20 सालों के बाद वह रोड बनाया गया और उसमें 3 किलोमीटर छोड़ दिया गया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई प्रावधान है या नहीं कि उसको बनाने का और बनेगा तो कबतक बनेगा ? 20 साल के बाद बना तो अधूरा ही बनाया और विभाग के कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं विधायक लोगों का । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगे इसको किस तरह से कार्रवाई करेंगे और इसको बनायेंगे ?

टर्न-5/सत्येन्द्र/28-3-18

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, पथ तो बनाना है लेकिन पहले महोदय श्रेणी-1 के पथ को हम बना दें, उसके बाद श्रेणी-2 का ले लेंगे ।

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पूरा बना हुआ है, मात्र 3 कि0मी0 का पथ बीच में गड़बड़ है उसको दिखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2305(श्रीमती वर्षा रानी)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 2306(श्री ललन पासवान)

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री: महोदय स्थानांतरित है गृह विभाग को ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2307(श्री सिद्धार्थ)

अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या- 2308(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला अन्तर्गत गौरेयाकोठी विधान-सभा क्षेत्र में गोरेयाकोठी प्रखंड के बसंतपुर से धमती नदी गुजरती है तथा लकड़ी नवीगंज से होकर घोघारी नदी गुजरती है ।

(2)उक्त दोनों नदी एक प्रकार का ड्रेनेज चैनल है अत्यधिक वर्षापात की स्थिति में अल्प अवधि के लिए उक्त दोनों नदियों में जल प्रवाह होता है । विगत कई वर्षों से नदी का पानी गांव में प्रवेश नहीं किया है और न ही फसल नष्ट हुए हैं । वर्त्तमान स्थलीय स्थिति के आलोक में उक्त दोनों नदियों के तल की सफाई कराना तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है ।

(2) यथा खंड-2 में वर्णित है।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैं रहता हूँ अपने विधान-सभा क्षेत्र में और ये रहते हैं सचिवालय में और बाढ़ आती है तो हमलोग बाढ़ को फेस करते हैं, इनको जो रिपोर्ट दिया गया है वह टेबुल रिपोर्ट है, एक्सक्यूटिव दिया होगा जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है । मैं चुनौती देता हूँ कि दोनों नदी धमती नदी और घोघाड़ी नदी से हजारों एकड़ फसल नष्ट होता है , गांव में पानी प्रवेश करता है और मंत्री जी कहते हैं पानी नहीं जाता है । क्या इस साल जलवृष्टि नहीं हुआ था क्या? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिये न ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: मैं पूरक पूछता हूँ कि किसानों के हित में, कृषि के हित में क्या उन दोनों नदियों की कटाई सफाई कराना चाहते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये दोनों नदी ड्रेनेज चैनल है, जिस नदी की ये बात कर रहे हैं और बरसात में कोई भी ड्रेनेज चैनल जब अत्यधिक वर्षापात होता है, पानी होता है तो कुछ समय के लिए उससे पानी जाता है फिर ड्रेनेज चैनल बंद हो जाता है । अब माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे बाढ़ आता है तो हम वहां के कार्यपालक अभियंता को डायरेक्शन देंगे कि माननीय सदस्य को वहां लेकर दिखा लें और दिखाने के बाद इनके साथ वहां का इंस्पेक्शन करें और अगर उससे बाढ़ आता होगा तो निश्चित तौर पर उसके गाद की सफाई करायेंगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: मैंने बाढ़ शब्द नहीं कहा । उसका पानी ग्राम में प्रवेश करता है । वह नदी भर गया है और दोनों नदी के भर जाने से जो पानी है गांव में प्रवेश करता है ।

अध्यक्ष: अब तो माननीय मंत्री ने कहा है कि आपको लेकर इंजीनियर जायेंगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ड्रेनेज की बात कही है और हमने नदी की बात कही है, स्पष्ट कर दिया जाय कि ड्रेनेज किसको कहते हैं और नदी किसको कहते हैं ?

अध्यक्ष: सत्येदव बाबू इंजीनियर को ये भेजेंगे ड्रेनेज को देखने और उसको जाना है आपके साथ, आप उसको नदी ही दिखा दीजिये ।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: अब तो हो गया, इंजीनियर के साथ जायेंगे न ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2309 (श्री राम विलास पासवान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत..

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न में तो एक ही खंड है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: दो लिखा हुआ है, एक और दो नम्बरिंग किये हुए हैं ।

अध्यक्ष: प्रश्न तो एक ही खंड में है । खैर बतलाईए ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत चन्नो एवं गोहरचक गांव में नाबार्ड फेज-8 के चार नलकूप क्रमश: गोहर-1, गोहर-2 गोहर-3 एवं गोहर-4 है जो ऊर्जान्वित नहीं है विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जान्वयन की कार्रवाई की जा रही है । ऊर्जान्वयन के उपरांत इन नलकूपों को चालू करने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राम विलाश पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत मुख्य समस्या है किसान का अध्यक्ष महोदय कि वह 4-5 साल से खराब पड़ा हुआ है और माननीय मंत्री द्वारा जो कहा गया कि विद्युत आपूर्त्ति के कारण मतलब बंद पड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो है डीजल इंजन भी दिया गया है लेकिन उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है और हमने 7-8 सिंचाई बोरिंग दिये थे अध्यक्ष महोदय लेकिन

प्रश्न में दो ही गांव का रहने दिया, 7-8 बोरिंग खराब पड़ा हुआ है । कई मर्त्तबा हमने प्रयास किया, अगले साल भी इसका क्वेश्चन किया गया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और अभी तक खराब पड़ा हुआ है, किसान त्राहिमाम है, सिंचाई नहीं हो पा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कबतक उसको जो है ठीक करवा सकते हैं ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसी का हमने उल्लेख किया है बिजली दोष के कारण नहीं चल रहा है । इसको हम दिखवा कर के शीघ्र नलकूप चले, इसकी व्यवस्था करायेंगे हम ।

श्री राम विलाश पासवान: माननीय मंत्री जी को विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वह बिल्कुल गलत है अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करा ली जाय कि क्या स्थिति में है, क्यों खराब पड़ा हुआ है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी इसकी जांच इसलिए भी करा दीजिये क्योंकि आपको शायद पता होगा कि श्री राम विलाश जी का इलाका जहां पानी सुविधा चाह रहे हैं, वहीं से कतरनी धान और चूड़ा सबसे अधिक होता है, पानी ही नहीं रहेगा तो वहां होगा कैसे? इसलिए आप उसको जरूर दिखवा लीजिये ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: मुख्य अभियंता से जांच कराकर रिपोर्ट लेंगे ।

श्री अमित कुमार: महोदय, ये हर जगह किसी भी माननीय से पूछ लिया जाय..

अध्यक्ष: हर जगह की समस्या है ।

श्री अमित कुमार: जी हमारे क्षेत्र में भी करीब 20-25 है, कोई नलकूप नहीं चालू है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, ये प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है कि चार साल से स्टेट ट्यूब-वेल उनका खराब है तो इन्होंने कहा कि ऊर्जान्वित दोष है जिसको हम ठीक करवाकर चालू करवायेंगे तो ये सिर्फ इतने बतला दें कि ऊर्जान्वित दोष कबतक दूर हो जायेगा 6 महीना में, 5 महीना में, 4 महीना में या कितने दिन में ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: इसको शीघ्र करवायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2310 (श्री तारकिशोर प्रसाद)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, (1)स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । यातायात बहाल कर दिया गया है वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों स्थलों पर नये आर0सी0सी0 पुल का प्रावधान करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इसके निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने खंड-2 के प्रश्न को अस्वीकार किया है । गोबिन्दपुर चौक से जो हसनगंज सड़क जाती है उसमें फुलवरिया चौक है, वहां का कलभर्ट बिल्कुल ध्वस्त है और वहां पर पंचायत सरकार भवन भी है । वहां

से एक सड़क और गयी है जो हसनगंज द्वासय पथ को भी जोड़ती है और उसके कलभर्ट के ध्वस्त होने के कारण उसका कोई बैकल्पिक मार्ग नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि फुलवरिया चौक पर जो कलभर्ट बिल्कुल ध्वस्त है उसको प्राथमिकता से एफ0डी0आर0 में बर्षा के पूर्व नया आर0सी0सी0 पुल बनाने का इरादा रखते हैं ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, हमने बताया कि स्वीकारात्मक है और आगे हमने यह भी बताया कि आर0सी0सी0 का प्रावधान करते हुए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

टर्न-6/मधुप/28.03.2018

तारांकित प्रश्न संख्या- 2311 (श्रीमती मंगीता देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 01 कि0मी0 है जो कच्ची है । इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण राज्य कोर-नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । गौरी राय टोला को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ चौपार से बघाड़ी से सम्पर्कता प्राप्त है । प्रश्नांकित पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती मंगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि इनको गलत रिपोर्ट भेजा गया है, इसे पुनः देखवाया जाय क्योंकि गंगवारा बुजुर्ग जो पंचायत है, बघाड़ी सीवान से लेकर चौपार सीमा तक जो सड़क गई है वह काफी जर्जर है और उसकी लम्बाई 01 कि0मी0 नहीं है । इनको गलत रिपोर्ट दिया गया है इसलिये इसे पुनः देखवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : पुनः देखवा लिया जाय मंत्री जी ।

श्रीमती मंगीता देवी : दोषी जो पदाधिकारी है उसपर कार्रवाई किया जाय क्योंकि गलत रिपोर्ट भेजा जाना उचित नहीं है ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि माननीय सदस्या जिस बात की चर्चा कर रही हैं उसमें कोई भी बसावट नहीं है और जिस गॉव की चर्चा की, गौरी चक राय टोला को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ चौपार से बघाड़ी से सम्पर्कता प्राप्त है ।

श्रीमती मंगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, गौरी चक राय नहीं है, गौरी राय के टोला......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, बसावट होने से रोड शामिल होता है, रोड में बसावट शामिल थोड़े होता है !

(व्यवधान)

रोड में बसावट थोड़े मंत्री जी शामिल करा सकते हैं ! भाई वीरेन्द्र जी, बसावट होने से रोड शामिल करते हैं, रोड में बसावट शामिल करने के लिये तो आप ही को कुछ करना होगा ।

श्रीमती मंगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि दोषी जो पदाधिकारी है उसपर कार्रवाई करना चाहते हैं ? जो गलत इनफॉरमेशन दिया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या का कहना ऐसा लगता है कि शायद उस रोड में बसावट है, आप इसकी जॉच करा दीजिये ।

श्री प्रह्लाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो निर्देश दे दिये लेकिन माननीय मंत्री जी कुछ नहीं बोले ।

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, आसन के निदेश के बाद किन्हीं के पास यह च्वॉयस नहीं बचता है कि वे माने या न मानें । आसन का नियमन होता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2312 (श्री लाल बाबू राम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 01 कि0मी0 है । पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत चयनित है, स्वीकृति उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री लाल बाबू राम : यह कबतक करा लिया जायेगा ? महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उक्त सड़क इस परिस्थिति में है कि यहॉ तीनों मौसम का कोई असर नहीं है, वहॉ सालो भर पानी जमा रहता है । कबतक पूर्ण करा लिया जायेगा ? एक समयसीमा निर्धारित कर दिया जाय ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : इसी सत्र में करा देंगे, महोदय । चलते सत्र में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2313 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ अररिया जिला अन्तर्गत भरगामा प्रखंड के रहरिया चौक से परसा हाट होते हुये सतवेर घाट तक पथ शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत आर0ई0ओ0 रोड रहरिया मोड़ से मधेपुरा सीमा तक के नाम से केन्द्रीय एजेन्सी के द्वारा निर्मित है जिसका अनुरक्षण अवधि माह फरवरी, 2018 में समाप्त हो चुका है । यह पथ श्रेणी-1 की अर्हता रखता है । उक्त पथ के मरम्मति कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2314 (श्री विद्या सागर केशरी)

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी अधिकृत हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के मझुआ पंचायत के पोटरी गाँव के पोटरी मोड़ सत्संग भवन के उत्तर मनोज ऋषिदेव के घर परमान नदी तक कच्ची सड़क राज्य कोर-नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-116 पर मझुआ से पोटरी पथ के नाम से अंकित है। जिसका सर्वे कार्य एम0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत कराया जा चुका है । डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति प्रदान कर देंगे । महोदय, जवाब दिलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपने तो प्रश्न पूछा नहीं, आपने तो कहा कि हम आग्रह करना चाहते हैं, इसमें प्रश्न कहाँ है ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : प्रश्न पूछा हुआ है । माननीय मंत्री जी जो जवाब दिये हैं, उनसे मैंने इस आलोक में आग्रह किया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । आग्रह सुन लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2315 (श्री अशोक कुमार)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2316 (श्री मो0 आफाक आलम)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, यह नगर विकास विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : यह नगर विकास विभाग को स्थानांतरित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2317 (श्री सुधांशु शेखर)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :-

1. पाखर पेड़ से बलुआहा मुसहरी टोल तक पथ - इस पथ की लम्बाई 450 मीटर है जो कच्ची है । यह पथ एस0एच0 से शुरू होकर मुसहरी टोल तक जाती है जो किसी कोर-नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । मुसहरी टोल की आबादी लगभग 200 है। उक्त बसावट की अर्हता की जाँच की जा रही है । तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

2. ब्रह्मस्थान से बिटहर के नहर तक पथ - इस पथ की लम्बाई 200 मीटर है जो आंशिक पी0सी0सी0 ईंटकृत एवं कच्ची है । यह पथ गाँव का आंतरिक पथ है । ब्रह्मस्थान को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2318 (श्री सदानंद सिंह)

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2319 (श्रीमती सावित्री देवी)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि जमुई-खैरा-सोनो-झाझा राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-333ए पर अवस्थित है । वर्तमान में इस पथ की स्थिति अच्छी है ।

2. जमुई-कटौना-गिद्धौर-झाझा-सोनो पथ भाग की स्थिति निम्नवत् है :-

(i) जमुई से कटौना पथ प्रमंडल जमुई के क्षेत्र के अन्तर्गत है । इसकी स्थिति अच्छी है ।

(ii) कटौना-गिद्धौर पथांश (14 कि0मी0) राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-333 पर अवस्थित है । इस पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य (2 lane with paved shoulder) प्रगति में है । कार्य प्रारम्भ की तिथि 21.03.2017 है एवं एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 20.06.2018 है । Forest clearance विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है । निर्माण कार्य की अवधि में संवेदक द्वारा पथ का रख-रखाव किया जा रहा है ।

(iii) गिद्धौर-झाझा (7 कि0मी0) का पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-333 पर अवस्थित है । अंतिम 1 कि0मी0 के कुछ भाग में कुछ पौट्स हो गये हैं । अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसकी मरम्मति करा दी जायेगी । यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है । इस पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (2 lane with paved shoulder) का प्रस्ताव 2018-19 की कार्य योजना में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजा जा रहा है । स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

(iv) झाझा-सोनो (10 कि0मी0) पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-333 पर अवस्थित है । यह पथांश Defect Liability Period के अन्तर्गत है । पथ का रख-रखाव संवेदक द्वारा किया जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, यह रोड बहुत जर्जर है । यात्री के वाहन सब को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है । मंत्री जी चाहें तो देखवा लें ।

अध्यक्ष : ठीक है । देखवा लीजिये ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि लगातार 3 वर्षों से गिद्धौर से लेकर जमुई कटौना तक इस पथ में गड्ढा है और जो भी आपके पास सूचना दिया है कि मेन्टेनेंस किया जा रहा है, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप किसी उच्च पदाधिकारी को भेजकर वहाँ का देखवा लें कि एक-एक ठेहुना गड्ढा है । रोड का कोई मेन्टेनेंस नहीं किया जा रहा है । पूरा जाम रहता है, 12 बजे दिन से लेकर 6 बजे तक पूरा जाम रहता है ।

टर्न-7/आजाद/28.03.2018

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, एक सप्ताह में इसकी जाँच करायी जायेगी । एक सप्ताह के अन्दर यहां से अधिकारी जायेंगे और पूरे मामले की जाँच करेंगे । अगर मुझे गलत सूचना दी गई है तो गलत सूचना देने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2320(श्री फैयाज अहमद)

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, 1. मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत दमलाघाट पर पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा 2015 में पूर्ण किया गया है ।

2. एप्रोच पथ के निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और भू-अर्जन की कार्रवाई पूरा करके उसका एप्रोच जरूर बनाया जायेगा ।

श्री फैयाज अहमद : माननीय मंत्री महोदय से हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि कब तक करा देंगे, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है ?

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, लेकिन अभी वरीय परियोजना अभियंता, दरभंगा द्वारा पत्रांक-124 दिनांक 24.02.2018 द्वारा अंचलाधिकारी, बिस्फी को जमाबंदी सुधार के लिए पत्र दिया गया है । अंचलाधिकारी, बिस्फी द्वारा जमाबंदी सुधार करने के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी करके इसका एप्रोच का काम करायेंगे ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-2321 पुट हुआ । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उसे सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 मार्च, 2018 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव और दूसरा श्री शिवचन्द्र राम एवं श्री राजेन्द्र कुमार ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।

अब शून्य-काल ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मेरा जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव था, वह राज्य सहित देश से जुड़ा हुआ मामला है । इसी एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को लेकर के जिस तरीके से देश में आग लग रही है । पूरे देश में बंदी होने जा रहा है । ऐसे परिस्थिति में जिस तरह की व्यवस्थायें चल रही है, अधिकांश धीरे-धीरे एक तरफ आरक्षण देने की बात की जा रही है और दूसरी ओर आरक्षण समाप्त किया जा रहा है । बैकलॉग समाप्त कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दी गई, साथ-साथ एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को समाप्त कर दिया गया । ऐसे मामले को लेकर के हमने कार्य-स्थगन लाने का काम किया था ताकि ......

अध्यक्ष : शिवचन्द्र जी, मैंने शुरू में ही कहा कि आपके विषय महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह सदन या बिहार सरकार के दायरे से बाहर की चीज है । इसलिए इसपर यहां पर विमर्श करना नियमसंगत नहीं होगा, यही तो हमने कहा है । हम तो आपके विषय के महत्व को नहीं घटा रहे हैं ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आसन के तरफ से .....

अध्यक्ष : बोलिए समीर जी । (व्यवधान)

अब शून्यकाल आपलोगों का ही है ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह डबल इंजन, 10 इंजन लग जाने के बाद भी यह सदन कुछ नहीं कर सकता है न । शून्य-काल श्रीमती पूनम देवी यादव ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, सवाल न्यायापालिका का नहीं है, सवाल है कि दलित आज दहशत में और आक्रोशित हैं । दलितों को जिन सवालों के बारे में बताया जा रहा है, आज पूरा देश बिहार भी उसमें संलग्न है । दलितों के सवाल पर जो आज बैचेनी है,

राज्य सरकार ने तो काफी दलितों/महादलितों के लिए काम किया है । लेकिन जो कुछ ऐसे अड़चन आ रहे हैं, जिसके कारण दलितों को लग रहा है कि हमारा अधिकार खत्म हो रहा है । अगर दलित के इन सवालों को लेकर के या दलितों के इन समस्याओं को लेकर के दो घंटे की परिचर्चा अगर विशेष करा लें तो दलितों के सवाल पर, हम न्यायालय पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आज दलित अपने आपको हताश महसूस कर रहा है, दलित को लग रहा है कि हमारा कहीं न कहीं .....

अध्यक्ष : श्याम जी, आप पुराने सदस्य हैं, आखिर चर्चा किसी मकसद से होती है न और वही तो बता रहे हैं । आपलोग जो दो बिन्दुओं की ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे एस0सी0/एस0टी0 एट्रोसिटी एक्ट जो है, उसके तहत या फिर आरक्षण के तहत, ये दोनों इस सभा या सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है । इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका यहां क्या निदान है और जहां तक उसके संबंध में कोई तकलीफ या कोई परेशानी की बात है तो उसके लिए अलग-अलग तरीके, अलग-अलग चैनल, अलग-अलग फोरम उपलब्ध है, आप उसपर काम करने को स्वतंत्र हैं ।

(व्यवधान)

अब शून्य-काल चलने दीजिए । श्रीमती पूनम देवी यादव ।

<u>शून्य-काल</u>

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया परमानन्दपुर पी0डब्लू0डी0 सड़क से हरदास चक गॉव होते हुए राको आर0ई0ओ0 सड़क तक जो महत्वपूर्ण सड़क है । आये दिन दुर्घटना होते रहती है ।

अत: सरकार अविलम्ब सड़क को बनावें ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड-अकोढ़ी गोला स्थित पंचायत-पकड़िया के बुधुऑ महुमरी के बगल में काव नदी पर पुल नहीं रहने से सैकड़ों गांवों का आवागमन बाधित है । दोनों तरफ से सड़क बना है । पुल बनने से तीन प्रखंड जुड़ेगा ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त नदी पर पुल बनावें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो बात कहनी थी, आसन ने बातों को सुना है और आसन के अधिकार क्षेत्र में जो बातें रहती है, आसन इजाजत देता है लेकिन आसन के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है और यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, यह सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं । माननीय सदस्य, सदन का समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं । बात कही गई है और सदन का समय माननीय सदस्य बर्बाद

कर रहे हैं । ये लोग संविधान का किताब दिखाते हैं और संविधान के धाराओं का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं । दोनों बातें ये लोग उठा रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है । आप जाईए, अपनी जगह पर बैठिए और यह सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस सदन में कोई बहस नहीं हो सकती है, इसपर कोई बहस नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, स्पेशल डिवेट तो हो ही सकता है । महोदय, ...

अध्यक्ष : उसकी भी प्रक्रिया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, प्रक्रिया के तहत, 43 के तहत, आप अगर कहिए तो इसपर कल-परसों रखिए ।

अध्यक्ष : आप लाने को स्वतंत्र हैं । माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी जगह पर तो जाईए । आपका ही शून्य-काल है । अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/अंजनी/दि0 28.03.18

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज विभिन्न वर्षों की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का कृषि विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या-633, पथ निर्माण विभाग से संबंधित समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन(कार्यान्वयन) संख्या-638, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-641 तथा संसदीय कार्य विभाग से संबंधित समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-642 की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य होंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

"बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" बिहार विद्युत शुल्क विधेयक,2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" बिहार विद्युत शुल्क विधेयक,2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" बिहार विद्युत शुल्क विधेयक,2018 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव् सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं मूव करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" बिहार विद्युत शुल्क विधेयक,2018 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि क्योंकि इसके लाने की अभी कोई जरूरत नहीं थी । इस विधेयक में लाईसेंस की परिभाषा और कर प्रभार में व्यापक परिवर्त्तन किया गया है, जिसपर पब्लिक ऑपिनियन लिया जाना आवश्यक है। राज्य में कुछ जगहों में बिलिंग आदि के काम को निजी क्षेत्र को दिया गया है और उसका अनुभव राज्य के नागरिकों को बहुत कटु है । इसलिए इसपर पब्लिक ऑपिनियन प्राप्त कर लिया जाय और उसे समाविष्ट करते हुए तब इसे सदन में लाया जाय ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मूव करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 दिनांक 30 जून, 2018 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

महोदय, मैं इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस किया हूँ कि बिजली का संबंध आम लोगों से है, जन-जन से है । हम अपना कानून जनता पर थोपना चाहते हैं, मगर वह समझ नहीं पायेगी कि कानून क्या है, क्यों बनाये हैं तो इसका क्या लाभ मिलेगा ? सबसे अनमोल बात यह है कि चूंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी आज इसके

प्रभार में हैं, इसका एक-एक शब्द, एक-एक पंक्ति का शब्द शायद हमारे समझ से, हमारे जैसे कम पढ़ा-लिखा लोग समझ नहीं पा रहा है । मैं समझता हूँ कि मंत्री जी के सिवाय कोई दूसरा समझ भी नहीं पायेगा जो मेरा ख्याल है । तो आम जनता के पास हम देंगे यह किताब तो वह कैसे समझेगा एक-एक शब्द का अर्थ, वह तो समझ नहीं पायेगा । इतना क्लिष्ट शब्द, बिहार में राजभाषा का प्रयोग भी इतना क्लिष्ट शब्दों के जरिए हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । तो मैं जनमत संग्रह जानने के लिए इसलिए दिया हूँ कि इसको तो ये सरलीकरण कर नहीं पायेंगे और जो परंपरा बनाये हैं कि कितना भी चिल्लांये घाट के पात जैसा होगा, जब हाकिम ही बेदर्द हो तो फरियाद करने से क्या लाभ ? लेकिन आप पहले ही हमको तोड़ दिये हैं । हुजूर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप एक ओर देखिए... (व्यवधान) यह बात आप ठीक कह रहे हैं, पढ़ा-लिखा बहुत कम हूँ सर ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री रामदेव राय : महोदय, अगर टाईम दे दिया जाय तो मैं सब चीज पढ़कर सुना दूं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आप अपनी बात कहिए न ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मंत्री जी, क्या ध्यान आकृष्ट कर रहे थे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं होती है ।

श्री रामदेव राय : हम उनका इसपर भी कद्र करते हैं ।

अध्यक्ष : पहले एक आदमी बोल रहे थे, अब दो आदमी बोल रहे हैं ।

श्री रामदेव राय : महोदय, बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 जो लाया गया है, इसके पहले हमारे यहां 1948 में भी यह लागू था और अब 2003 भी है और इस अधिनियम में रहते हुए यह जरूर बात है कि विद्युत उत्पादन, संचरण और आपूर्त्ति प्रबंधन में कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसका अर्थ है और आप अपने उद्देश्य में भी यह क्लियर कर दिये हैं, मैं आसन से आग्रह करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य को क्लियर कर दिये क्यों ? ये जी0एस0टी0 की परिधि से इसको बाहर रखे हैं और ये उसी पंक्ति में बोलते हैं कि जी0एस0टी0 प्रणाली से प्राप्त होने वाले राजस्व के अलावे यह अधिनियम राज्य के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण श्रोत है । जी0एस0टी0 से बाहर भी रखे हैं और उसके अलावे कर राजस्व को बढ़ाने के लिए यह सारा प्रबंधन है । एक ओर आप गरीब को बिजली देना चाहते हैं, घर-घर बिजली पहुंचाना चाहते हैं, लंबे-लंबे भाषणों के जरिए जनता को आप अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं और दूसरी ओर उनपर टैक्सेसन, उसपर टैरिफ बढ़ाकर उनको तंग करना चाहते हैं । आज जनता की गांव में क्या हालत है ? हमारे विजेन्द्र बाबू, बिजली मंत्री हैं, यह ठीक है कि बिजली में

कुछ सुधार हुआ है । यह हम नहीं कहेंगे कि नहीं । लेकिन आज गांव की हालत क्या है, इसको आप चलकर देख लें । जो बिजली बोर्ड था, उसको समाप्त करके प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिये, कम्पनी के हाथ में, वह तो लूटेगा और आज भी ये किये हैं, अधिनियम में भी यही है कि प्राइवेट व्यक्ति जेनरेट करेगा, वितरण करेगा, वसूल करेगा और क्या हालत है वसूली का ? बिजली की खपत है 1500 रूपये का और बिल आता है 2500 रूपये का, 3500 रूपये का और उसको ठीक कराने के लिए बिजली ऑफिस का चक्कर लगाते-लगाते महीनों बीत जाते हैं और तबतक उनपर थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाता है । बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 जो लाये हैं, उसका क्या प्रयोजन है, क्या लाभ होगा ? उसका लाभ तो आम जनता के लिए होना चाहिए । आप जो कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं, सरकार थोप दे कानून इससे तो जनतंत्र चलने वाला नहीं है । आपको तो जनता की नियत को, जनता की राय को जाननी होगी कि वह क्या चाहता है ? इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि आप जी0एस0टी0 को डायरेक्ट लागू कर देते लेकिन आप जी0एस0टी0 को लागू कर दिये लेकिन आप जी0एस0टी0 भी छिपाकर यह करारोपण कर रहे हैं और आम लोगों पर टैक्सेसन का भार देकर वितरण की व्यवस्था और उत्पादन की व्यवस्था दूसरे पर, प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं । बिजली का शुल्क नहीं देगा और बिजली का शुल्क नहीं देगा तो उसको माफ कैसे करेंगे तो वह भी आप क्लियर कर दिये हैं । सबसे बड़ा अन्याय तो यह किये हैं कि अगर कोई आदमी अपील करेगा न्यायाधिकरण के विरूद्ध में तो आप ऐसा डायरेक्शन दिये हैं कि मुझे हंसी आती है । आजतक मैंने सुना भी नहीं । आप कहते हैं कि दो जज मिलकर के इसकी सुनवायी करेगा तो सरकार को कोई ऐसा पावर है संविधान में आपको कि आप डायरेक्शन दीजियेगा कोर्ट को कि आप दो आदमी मिलकर सुन लीजिए या एक बेंच बनाकर सुन लीजिए । ऐसा पावर आपको नहीं है । यह तो हाई कोर्ट की चीज है, न्यायालय की चीज है कि वह किसके जरिए, कितने आदमी

...क्रमशः...

टर्न-9/शंभु/28.03.18

श्री रामदेव राय : क्रमशः......या एक बेंच बनाकर सुन लीजिए ऐसा पावर आपको नहीं है । यह तो हाईकोर्ट की चीज है, न्यायालय की चीज है कि वह कितने बेंच के जरिये सुनवाई करेगा । इसमें चक्कर में भी फंसा दिये हैं आप और सबसे चक्कर यह फंसाये हैं, आज चलिए हमारे मंत्री जी चलें- यह बात ठीक है कि इनका अफसर कुछ अच्छा काम किया है । यह हम मानेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अफसर तो पटना में बैठे रहते हैं और गांव में क्या हालत है ? आप जो पोल गाड़ते हैं उसके अंदर झामा मेटल देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर मिट्टी देता है । शहर में तार आप लगाये हैं

वह रबड़ से कवर है और गांव में नन्दकिशोर बाबू चलियेगा तो बड़का मोटका तार है, अगर टूट गया तो गांव का गांव साफ हो जायेगा । आप एक नया कानून बनाये हैं, यह लूट रहा है जो कंपनी है, जो कंपनी का एजेंट है वह किसी गांव का ही आदमी होता है जिसका मन जितना बिल होता है बढ़ाकर दे देता है, लोग परेशान-परेशान हैं । इस परेशानी को दूर करने की जरूरत है । आप संवेदनशील सरकार हैं और महत्वाकांक्षी योजना है तो आपको निश्चित रूप से सरजमीन की बात लेकर के ऐसा एक्ट बनाना चाहिए चूंकि आप जी0एस0टी0 प्रवेश करके एक्ट बना रहे हैं और एक्ट आप लागू कर देंगे तो क्या दिक्कत होगी इसको- और इतना ही नहीं हुजूर, आप तलाशी लेने का कितना बड़ा पावर दे दिये हैं । आप कहते हैं कि गरीब को बिजली देंगे, आदिवासी को देंगे, अनुसूचित जाति को देंगे, मुफ्त देंगे और उसको बकाया, अगर वह बिजली उत्पादन करता है प्राइवेट रूप से तो उसको तलाशी करने के लिए और तलाशी करने का पावर है आपको ? कैसे पावर है ? इसके नियम के मुताबिक आपको तलाशी करनी होगी । आप न कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं, न कोई सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किये हैं । इसके अलावे वह हमारे घर में प्रवेश कर जायेगा । हम बिजली बनाते हैं और चोरी भी करवाते हैं और हमको शुल्क भी आप नहीं लेंगे । आप एक्ट बना दिये हैं कि हमपर शुल्क बढ़ा देंगे और शुल्क हम समय पर नहीं देंगे तो हमारे घर में प्रवेश करा दीजिएगा आप पुलिस को कि प्रवेश करके उसकी तलाशी लो । आपको तलाशी कराने का अधिकार नहीं है । गरीब के घर की तलाशी कीजिएगा जिस गरीब के लिए सात निश्चय बनाये हैं, इतना काम करना चाहते हैं उस गरीब के घर की तलाशी क्यों कराना चाहते हैं और तलाशी करने की जरूरत क्या है ? अगर आप बिजली समय पर सप्लाय करते हैं, आपूर्ति करते हैं- जनरेशन बढ़ा है निश्चित है, सप्लाय करते हैं तो सप्लाय का मीटर लगाये क्या ? गांव में भैलीड मीटर है किसी के पास ? नहीं है, आज भी नहीं है । 80 परसेंट लोगों के पास मीटर नहीं है गांव में और उसको शुल्क देना पड़ता है । आप कहे कि हम कैंप लगाकर उससे वसूल करेंगे, उसकी जो अतिरिक्त चार्ज आयेगा उसका कैंप लगाकर हम वसूली करेंगे । एनाउन्स हुआ कि प्रत्येक महीना के 15 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में जाकर वसूल करेंगे, लेकिन आज हो रहा है ? नहीं हो रहा है । जब काम हो ही नहीं रहा है तो आप विधेयक लाये क्यों और इस विधेयक को लाने से आम लोगों को क्या लाभ होगा, मैं यह समझना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : हो गया ?

श्री रामदेव राय : और नहीं.........

अध्यक्ष : आपकी मर्जी हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आगे भी कई संशोधन आपके हैं और अभी सब बोल लीजिएगा तो आगे रेपीटीशन होगा, पुनरावृत्ति होगी जिसको हमको रोकना होगा ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, चार-पांच बार बोलने का एग्रीमेन्ट हो गया है ।

श्री रामदेव राय : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको जनमत संग्रह में भेज दीजिए । जनता की आवाज को समझ लीजिए, जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है उसके अनुरूप यह एक्ट बनाइये । यह जनता विरोधी एक्ट है इसलिए आप इसको वापस कर लीजिए, नहीं तो जनमत संग्रह में भेज दीजिए । अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो प्रवर समिति में भेज दीजिए कि 30 दिन के अंदर वह अपना रिपोर्ट पेश कर दे । तरीका भी यही है, इसलिए मैं सिद्धांत पर चर्चा नहीं किया हूँ । यह सिद्धांत की चीज है ही नहीं, यह तो बिलकुल जनता से संबंधित चीज है । ऐसे अब आसन का अग्रह हो रहा है तो आगे तो है उसमें बहुत चीज हमलोग करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विद्युत् शुल्क विधेयक, 2018 दिनांक 30 जून, 2018 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव । इसमें माननीय सदस्य श्री भोला यादव द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(इस अवसर पर मा0स0श्री भोला यादव अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विद्युत् शुल्क विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में 10 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : जी सर । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ख) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''या अधिक'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, आप देखेंगे कि यहां भी यही बात है । खंड-2 में ख पढ़ेंगे सह उत्पादन- अब किसी से बाहर में पूछिए तो सह उत्पादन किसको कहते हैं । हम तो समझते हैं सह उत्पादन नहीं कहेगा और सह उत्पादन से अभिप्रेत है प्रक्रिया में उत्पादित ऊर्जा

जो लगातार विद्युत् सहित उपयोगी ऊर्जा का दो या अधिक रूप में- दो या इससे अधिक क्या होता है ? इसको क्लीयर नहीं किये हैं । इसलिए इसमें मैं यह संशोधन दिया हूँ कि दो से अधिक जो शब्द है इसको विलोपित कर दीजिए । ज्यादा से ज्यादा दो रहने दीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था होगी उत्पादन की ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ख) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''या अधिक'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 उपखंड(1) के मद (घ) के छठी पंक्ति के शब्द ''व्यक्ति'' एवं शब्द ''शामिल'' के बीच शब्द ''भी'' अंत:स्थापित किया जाय तथा छठी पंक्ति के शब्द समूह ''नहीं है'' के स्थान पर शब्द ''रहेगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

देखिए सर, क्लीयर है आप भी थोड़ा पढ़ते जाइये तो हमको सुविधा होगी, नहीं तो हम केवल बोलते रह जायेंगे उधर से ना होगा और बात खतम हो जायेगी । जब ना में ही खतम हो जायेगी तो जिंदगी भर ना ही रहने दीजिए । हमलोग को हां में रहने दीजिए हमेशा । कोई हो अनुज्ञप्तिधारी अथवा सरकार द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा आमजन को विद्युत् आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे अन्य व्यक्ति द्वारा, विद्युत् व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसमें नहीं है अनुज्ञप्तिधारी- कोई व्यक्ति हो द्वारा विद्युत् की आपूर्ति की जाती हो और इसमें से कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसके परिसर तत्संबंधी समय यथाशक्ति अनुज्ञप्तिधारी सरकार ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों के विद्युत् प्राप्त करने के कार्यों के प्रयोजनार्थ जुड़े हों, किन्तु इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं रहेंगे जिसके उत्पादक कंपनी और किसी अनुज्ञप्तिधारी तथा अनुज्ञप्तिधारियों के बीच करार के अधीन- मैं इसमें इसलिए कहा कोई व्यक्ति शामिल रहेंगे यह दिया जाय । इसको अगर ठीक से मंत्री जी समझेंगे तो मैं उन्हीं के लाभ के लिए दिया हूँ कि कोई व्यक्ति शामिल नहीं है इसको काटकर के कोई व्यक्ति शामिल रहेंगे यह कर दिया जाय और करार शब्द को हटा दें, करार शब्द का क्या प्रयोजन है ?

क्रमश:

टर्न-10/अशोक/28.03.2018

श्री रामदेव राय : क्रमश: ... और करार का क्या प्रयोजन है ? इस ऐक्ट में करार का क्या अर्थ होता है, किससे एकरारनाम आप किये हैं, किस से एकरारनामा किये नहीं, विद्युत की

आपूर्त्ति की जाती है, हमको बतला दीजिये कोई एकरार नामा हुआ हो किसी से? वैसे एकरारनामाधारी हैं तो फिर उसके लिये दूसरे तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं इसलिये इसे संशोधित किया जाय।

अध्यक्ष : ठीक । प्रश्न यह है कि :

" कि विधेयक के खंड-2 उपखंड(1) के मद (घ) क छठी पंक्ति के शब्द "व्यक्ति" एवं शब्द "शामिल" के बीच शब्द "भी" अंत:स्थापित किया जाय तथा छठी पंक्ति के शब्द समूह "नहीं है" के स्थान पर शब्द "रहेगा" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ड.) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "किसी अन्य व्यक्ति को" के स्थान पर शब्द समूह "आम जनों को " प्रतिस्थापित किया जाय । "

यह तो और मंत्री जी बिल्कुल क्लेयर है, आप इसको मान लीजिये । आम जनों के लिए आप आम जनों के लिये हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिय आप बना रहे हैं तो इसको आम जनों के लिए भी इसको उपयोगी बनाइये, यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ड.) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "किसी अन्य व्यक्ति को" के स्थान पर शब्द समूह "आम जनों को " प्रतिस्थापित किया जाय । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ट) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह " एक लोक उपयोगिता न हो" के स्थान पर शब्द समूह "जहॉ लोक उपयोगिता" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

सर, यह भी तो साधारण चीज है सर, लोक उपयोगित हो ही नहीं जहां तो यह एक्ट बनाने से क्या लाभ ? मैं यही दिया हूँ और बहुत ही सिम्पल चीज मैं दिया हूँ सर, आप भी जरा आसन से इस पर ध्यान दीजिये कि इसमें एक्ट में है कि "स्वतंत्र शक्ति उत्पादक" अब देखिये ये शब्द भी हम हाऊस से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी समझिये इसको स्वतंत्र शक्ति उत्पादक क्या होता है । ये दे दिये

है " विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादक जो एक लोक उपयोगिता न हो " माने लोक उपयोगिता नहीं हो, एक तो शक्ति उत्पादक स्वतंत्र शक्ति उत्पादक हैं और उससे जो उत्पादन होता हो वह लोक उपयोगिता न हो किन्तु जो उपयोगिताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्रय के लिए विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध कराता हो मगर इनका कारबार चले, ये बिजनेस करायेंगे उनसे, बिजनेस करायेंगे इसलिये इनको सजेस्ट किया हूँ कि लोक उपयोगिता हो ये शब्द इसमें जोड़िये । यह हाऊस से निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दीजिये इसलिये लोक उपयोगी कार्य हो, वहां ऐसा काम आप कीजिये।

अध्यक्ष : इसमें रामदेव बाबू आप कह रहे हैं लोक उपयोगिता न हो, लोक उपयोगिता मतलब तो पब्लिक यूटिलिटी होता है इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र शक्ति उत्पादक कम्पनी यह स्वतंत्र उत्पादक उसको कहा जायेगा जो पब्लिक सेक्टर का नहीं होगा, यह तो साधारण बात है न ! जो पब्लिक सेक्टर का होगा यानी सरकारी माध्यम से जो उत्पादन होगा बिजली का उसको स्वतंत्र शक्ति उत्पादक कैसे माना जायेगा ? इसलिये यह रेलिवेंट नहीं है ।

श्री रामदेव राय : इसका क्या अर्थ हुआ यह क्लेयर कर दें न " विद्युत ऊर्जा उत्पादक जो एक लोक उपयोगिता न हो "

अध्यक्ष : जो पब्लिक यूटिलिटी नहीं हो न !

श्री रामदेव राय : किंतु जो उपयोगिताओं अथवा अंतिम उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध कराता हो ।

अध्यक्ष : वह पब्लिक लोक उपयोगिता, पब्लिक कंजम्पशन से अलग कर रहा है । कोई स्वतंत्र यूनिट अगर बिजली उत्पादन कर रहा है उसके बारे में है ।

अपना संशोधन वापस लीजियेगा ?

श्री रामदेव राय : जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन कर लीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ट) प्रथत पंक्ति.........

श्री रामदेव राय : महोदय, सुन लिया जाय इसको । उपभोक्ताओं को बिक्री के लिये विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराता हो, इसका क्या अर्थ है ? जिसको हम वितरण देंगे, वह लोक उपयोगी नहीं कहा जायेगा क्या ?

अध्यक्ष : यह आपका अधिकार है, जब आप मूव करेंगे तो हमको उसे पुट करना होगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ट) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह "एक लोक उपयोगिता न हो" के स्थान पर शब्द समूह "जहाँ लोक उपयोगिता" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ठ) के तीसरी पंक्ति के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

" इसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्वतंत्र उद्योग इकाई भी शामिल रह सकेगी ।"

सर, जरा ध्यान दिया जोयगा इसमकें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्वतंत्र इकाई भी शाामिल रह सकेगी । यह तो सरकार के हित में है, बूझिये राज्य सरकार के परमिशन से कोई इकाई बनाये ताकि वह लाईसेंसधारी हो, प्रक्रिया के मुताबिक काम करे, जनोपयोगी काम करे ऐसा नहीं है जैसा कि आप उसमें कर दिये हैं लोक उपयोगिता न हो तो लोक उपयोगी काम करे उसके लिये अगर सरकार परमिशन देकर काम करावे तो इसमें क्या हर्जा है सरकार को मानने में ? जरा ठीक से देंख लीजिये सर, पढ़ लीजिये, पढ़ कर ये घर से तो आये नहीं होंगे ।

अध्यक्ष : यह तो इसमें अच्छादित है, लेकिन चलिये ।

प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ठ) के तीसरी पंक्ति के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

" इसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से स्वतंत्र उद्योग इकाई भी शामिल रह सकेगी ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ड) के दूसरी पंक्ति के शब्द "कोई" एवं शब्द "प्राधिकारी" के बीच शब्द समूह "तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त" अंत:स्थापित किया जाय "

महोदय, मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति बेहतर निरीक्षण कर सकता है इसलिये इसे स्वीकार किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ड) के दूसरी पंक्ति के शब्द "कोई" एवं शब्द "प्राधिकारी" के बीच शब्द समूह "तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त" अंत:स्थापित किया जाय "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, आसन से विनम्र आग्रह है कि आज तक की परिपाटी भी रही है कि मैं मूव करता हूँ प्रस्ताव तो प्रभारी मंत्री को उठकर इसका जवाब देना चाहिये, आज तक परिपाटी यही रही है और आसन ही सरकार बन जाय तो इस हाऊस का क्या हाल होगा । आपका रिपुटेशन इतना अच्छा है कि लोग बूझता है कि आप हाऊस को कमाल ढंग से चलाते हैं, लेकिन आज जनता की तकलीफ की बात मैं बोल रहा हूँ कि इस पर आप मोदी जी को चुप रख रहे हैं यानी प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिये उनको, प्रोटेक्शन मिलना चाहिये इधर दोनों पक्ष के लोगों को । मोदी जी को खड़ा कीजिये, हम खड़ा होते होते थक जायेंगे ओर उनको बैठकर रखियेगा, तब हम भी उनको जान ले, छोड़ नहीं देंगे ।

अध्यक्ष : आप संशोधन मूव किये कि नहीं किये ?

श्री रामदेव राय : मैं संशोधन मूव करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ढ़) के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "रखते हैं" के बाद के शब्द समूह को विलोपित किया जाय ।"

महोदय, बहुत छोटा है।

अध्यक्ष : ऐसा माना जाता है रामदेव बाबू कि जिस संशोधन प्रस्ताव पर सरकार को कुछ कहना रहता है उस पर माननीय मंत्री खड़े होते हैं और जिस पर वे नहीं खड़े हुये इसका मतलब है कि वह उसको उसी रूप में रहने देना चाहते हैं । इसलिये हमको उसको मतदान के लिये पुट करना पड़ता है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, मैं आसन पर तर्क नहीं कर सकता हूँ । आप जानते ही है कि हम भी (व्यवधान) वह मूव करने का सवाल नहीं है, सरकार को हमारे हर प्रस्ताव पर बोलना है, हर प्रस्ताव पर जवाब देना है, हां चाहे ना । तो मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूँ उसमें मोदी जी चुपचाप बैठे हुये हैं और आप उसके बदले वोट करवा रहे हैं, तो हम हर पर वोट करायेंगे अभी से । हर बार वोट होगा, चलिये रात तक होगा, 2 बजे रात तक होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक के खंड-2 के उपखंड(1) के मद (ढ़) के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "रखते हैं" के बाद के शब्द समूह को विलोपित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-11/28-03-2018/ज्योति

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव रायः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (थ) के चौथी पंक्ति के श्ब्द ''ईंधन'' एवं शब्द ''शामिल'' के बीच शब्द ''भी'' जोड़ा जाय तथा चौथी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय ।''

शब्द सरकार देखिये इतना क्लियर है, इसके बाद भी अब आप फिर जरुर वोट करवाकर कहवाईयेगा ना इतना क्लियर बता दीजिये, तो कितना पढ़ने में मशक्कत करना पड़ा होगा, मैं तो सरकार को सहायता कर रहा हूँ बार बार कहा कि महागठबंधन से कुछ राय लीजिये, मार्गदर्शन लीजिये, सहयोग लीजिये कि अच्छी सरकार चले, आप तो बीच में रोकवा रहे हैं, आप देखिये थ में क्या लिखें है, जो क्लियर है थ को पढ़ लीजियेः ''नवीकरणीय ऊर्जा'' से अभिप्रेत है नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत से उत्पादित ग्रिड गुणवता वाली विद्युत जो धरती के प्राकृतिक वातावरण का एक भाग हो और जो कालक्रम के साथ या तो जैविक पुनर्रुत्पादन या अन्य प्राकृतिक रुप से आवर्ती प्रक्रियाओं यथा-सूर्य की रोशनी, हवा, वर्षा, ज्वार लहरों, भूतापीय गर्मी, बायोमास, बायोईंधन से पुनः पूर्ति हो सके किंतु इसमें फौसिल ईंधन शामिल नहीं हैः'' अब बताईये फौसिल ईंधन क्या है हम नहीं जानते हैं सर कि वह क्या है, बतला दीजिये । फौसिल ईंधन का अर्थ हम क्या समझायेंगे, जब गांव में जायेंगे । ये नहीं मानेंगे हमको वोट कराना ही पड़ेगा ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (थ) के चौथी पंक्ति के शब्द ''ईंधन'' एवं शब्द ''शामिल'' के बीच शब्द ''भी'' जोड़ा जाय तथा चौथी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अगला संशोधन ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (न) के अंतिम पंक्ति बाद शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''मगर 56 के खंड(3) विचारणीय होगा ।''

यह तो ऐक्ट का ही मैंने कहा है । 56 को ओमिट क्यों करवाते हैं 5, 6 को इम्पलीमेंट करवाईये एग्जीक्यूट करवाईये, इसमें क्या हर्जा है, क्या नुकसान है बिजेन्द्र बाबू अपने समझे, यह तो इन्हीं का विभाग है । इससे तो आपको सुविधाा मिलेगी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (न) के अंतिम पंक्ति बाद शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

'' मगर 56 के खंड(3) विचारणीय होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (प) के बाद एक नया मद (फ) निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''(फ) आयुक्त से अभिप्रेत है प्रमंडलीय आयुक्त ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि खंड 13 में आयुक्त का उल्लेख है जबकि परिभाषा में कहीं आयुक्त परिभाषित नहीं है । मैंने विद्युत अधिनियम 2003 को भी देखा है, उसमें कहीं भी आयुक्त नहीं है, संभवत: आयुक्त परिभाषित होना छूट गया है, इसलिए मैंने यह संशोधन लाया है, जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए । जो इनका पहले 2003 का है, हुजूर हम चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इसको सुधार लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) के मद (प) के बाद एक नया मद (फ) निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

'' (फ) आयुक्त से अभिप्रेत है प्रमंडलीय आयुक्त ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में 6 संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-3 के उपखंड (1) के मद (ग) को विलोपित किया जाय ।"

सर, देख लीजिये, कितना दुर्भाग्य है हमारा । खंड-ख, ग, इसमें दिए हैं खंड-1 क्या है कि उप धारा 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क विद्युत शुल्क उद्गृहित किया जाय तथा राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा, कहॉ कहॉ, कैसे कैसे, किससे उपभोग चार्ज पर, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की हुई उर्जा इकाई पर, कैपटिव उत्पादन पर, सह उत्पादन पर, स्टैण्ड बाई उत्पादन पर, नवीकरणीय उर्जा पर अथवा स्वतंत्र शक्ति उत्पादक पर या उपभुक्त उर्जा की इकाई जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन आच्छादित नहीं है यथा खुली पहुंच अथवा अन्य श्रोत । इसको इससे अलग ये रखना चाहते हैं, इसमें संलग्न करना चाहते हैं । खुली पहुंच क्या है, जो मंत्री जी से पहुंच रखें, उसी को न खुली पहुंच कहेंगे, तो हम कहे हैं कि इसको विलोपित कर दीजिये, बस (ग) को विलोपित कर दीजिये ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"विधेयक के खंड-3 के उपखंड (1) के मद (ग) को विलोपित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

"विद्युत नियामक बोर्ड के फैसले के अनुसार या राज्य सरकार के द्वारा तत्कालीन परिस्थिति में लिए गए फैसले के अनुरुप ।"

अब इसमें क्या गलती हमलोगों की है । राज्य सरकार को भी इम्पौंटेंस दे रहा हूं या नियामक बोर्ड से उसका फैसला ले लीजिये, तब फिर आगे बढ़िये, इसमें

क्या दिक्कत है । इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है । आप देख लीजिये सर । मैं पूरा पढ़ूं सर, पूरा एक्सप्लेन करुं क्या, मैं समय बचाने के लिए शौर्ट में निकलता जा रहा हूँ । देखिये इसमें क्या है, देख लिया जाय सर कि इसमें क्या है खंड (3) का (iii) किसी प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार अधिसूचना, द्वारा, उस निमित लोक प्रयोजन होना घोषित करे तथा ऐसी छूट ऐसी शर्तों और छूट के अध्यधीन हो, जिसे उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाय'' नहीं, ये आगे गलत कह दिया हूँ । वही है राज्य सरकार से फैसला ले करके हो चाहे नियामक बोर्ड के फैसले के अनुसार हो सर यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''विद्युत नियामक बोर्ड के फैसले के अनुसार या राज्य सरकार के द्वारा तत्कालीन परिस्थिति में लिए गए फैसले के अनुरुप ।''

(व्यवधान)

टर्न-12/28.3.2018/बिपिन

अध्यक्ष : मैं इसे फिर से रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''विद्युत नियामक बोर्ड के फैसले के अनुसार या राज्य सरकार के द्वारा तत्कालीन परिस्थिति में लिये गये फैसले के अनुरूप ।''

(घंटी)

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (iii) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''उल्लिखित अधिसूचना में समय-समय पर परिवर्त्तन किया जा सकता है ।''

सर, देखा जाए, खंड-3 के उपखंड-(2) के बीच में क्या लिखा हुआ है, किसी प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त लोक प्रयोजन होना घोषित करे तथा ऐसी शर्त्तें और छूट के अध्यधीन हो जिसे उस अधिसूचना में

उल्लिखित किया जाए । मैं इस संशोधन में इतना ही दिया हूं कि ऐसी अधिसूचना समय-समय पर परिवर्त्तन की जा सकती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (iii) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''उल्लिखित अधिसूचना में समय-समय पर परिवर्त्तन किया जा सकता है ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (iv) के अंत में शब्द ''कॉपरेटिव'' जोड़ा जाय ।''

एक्सप्लेन करने दीजिए सर । इसमें विद्युत अधिनियम के अधीन किसी परिसन अथवा वितरण प्रणाली उसमें उपरांत हानि सहित निर्माण, अब देखिए शब्द कितना क्लीष्ट है सर, विद्युत अधिनियम के अधीन किसी परिसन अथवा वितरण प्रणाली उसमें उपरांत हानि सहित, क्या उपरांत हानि सहित, के निर्माण, संधारण, परिवर्त्तन से सीधे संबंधित प्रयोजनों के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अथवा आम जनों को विद्युत आपूर्त्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति द्वारा, तो मैं किसी व्यक्ति को हटा दिया हूं, मैं सरकार को कहता हूं कि कॉपरेटिव के जरिए हो, कॉपरेटिव को बढ़ावा दीजिए, इस बिहार में तो कॉपरेटिव को बढ़ावा देना चहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (iv) के अंत में शब्द ''कॉपरेटिव'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (vii) के शब्द ''उत्पादन'' एवं अंक ''100'' के बीच शब्द समूह ''कम से कम'' जोड़ा जाय तथा शब्द समूह ''से अनधिक किया जाता हो'' विलोपित किया जाय ।''

सर इसमें सुना जाए । इसमें इनका है तीसरा का जो(vii) है उसमें यह क्लीयर किया है - ये दिए हैं कि जहां विद्युत का उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक किया जाता हो, और मैं लिखा हूं कि जहां विद्युत का उत्पादन कम-से-कम 100 वोल्ट किया जाता हो, तो इसमें सरकार के लाभ के लिए मैं कह रहा हूं । मोदी जी को भ्रमित कर रहा है यह बनाने वाला । यह तो आपके लाभ का चीज है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है-

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के मद (vii) के शब्द ''उत्पादन'' एवं अंक ''100'' के बीच शब्द समूह ''कम से कम'' जोड़ा जाय तथा शब्द समूह ''अनधिक किया जाता हो'' विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड-(3) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''भी'' एवं शब्द ''आवासीय'' के बीच शब्द ''निजी'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

सर, आप पढ़कर स्वयं देख लें कि मैं 'निजी' दिया हूं, इससे आम पब्लिक को कितना लाभ होगा, यह देख लिया जाए और तब इसपर वोट कराया जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड-(3) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''भी'' एवं शब्द ''आवासीय'' के बीच शब्द ''निजी'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

''कि खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न:13/कृष्ण/28.03.2018

अध्यक्ष : खंड 4 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 4 के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "किसी भाग में" एवं शब्द ' परिसरों ' के बीच शब्द समूह "शैक्षणिक संस्थानों एवं मेला, हाट, बाजारों में जहां सुरक्षा की दृष्टि से उर्जा का उपयोग किया जाता हो"अंत:स्थापित किया जाय ।"

विद्युत शुल्क में छूट देने की बात है । हाट, बाजार को नहीं देंगे, शिक्षण संस्थान को देंगे नहीं, जहां सुरक्षा की जरूरत है, उस दिन वहां बिजली लगेगी, उसमें छूट देंगे नहीं तो छूट किसको देंगे ? प्राईवेट कंपनी के लिये छूट की व्यवस्था है । इसलिये यह संशोधन मानने योग्य है । सरकार को चाहिए कि इस संशोधन को मान

ले ताकि आमलोगों में चर्चा हो कि सरकार गरीबों के लिये भी है, किसानों के लिये भी है, मजदूरों के लिये भी है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 4 के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "किसी भाग में" एवं शब्द ' परिसरों ' के बीच शब्द समूह "शैक्षणिक संस्थानों एवं मेला, हाट, बाजारों में जहां सुरक्षा की दृष्टि से उर्जा का उपयोग किया जाता हो"अंत:स्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" खंड 4 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 5 के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"ऐसे में बिहार विनियामक बोर्ड या बिहार राज्य पावर होल्डिंग लिमिटेड की राय को भी ध्यान में रखा जाये । "

महोदय, यह काफी इम्पौर्टेंट है । भाई वीरेन्द्र जी, इस संशोधन को देख लीजिये । विद्युत शुल्क की दरों में रूपांतरित करने की शक्ति में मैं कहा हूं कि राज्य सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा उन शर्त्तों निबंधों के अधीन रहते हुये जो उसमें विर्निदिष्ट किया जाय उपभोक्ता के किसी ऐसे वर्ग उत्पादन के ऐसे प्रकार वैसे क्षेत्र उस अवधि जो विनिर्दिष्ट किये जाय, के संबंध में विद्युत शुक्ल की दरों को रूपांतरित कर सके ।

महोदय, मैंने कहा है कि ऐसे में बिहार विनियामक बोर्ड या बिहार राज्य पावर होल्डिंग लिमिटेड की राय को भी ध्यान में रखा जाये । बोलिये माननीय विजेन्द्र बाबु। कहिये कि जरूरत नहीं है बिहार राज्य पावर होल्डिंग लिमिटेड की ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 5 के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"ऐसे में बिहार विनियामक बोर्ड या बिहार राज्य पावर होल्डिंग लिमिटेड की राय को भी ध्यान में रखा जाये । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 5 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड 5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 6 में 5 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, क्या आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : एक संशोधन मूव कर के शेष को मूव नहीं करूंगा । ।

अध्यक्ष महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 6 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह "ऋण की वसूली सरकारी दर पर प्रचलित सूद के साथ होगा" जोड़ा जाय ।"

महोदय,मैं ऋण के लिये आग्रह किया हूं । यह भी तो सरकार के हित में है। अब बोला जाय । आपको तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए । आपकी सरकार को चलाने के लिये ऋण में भी सिफारिश कर रही है कि ऋण ऐसा कीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 6 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह "ऋण की वसूली सरकारी दर पर प्रचलित सूद के साथ होगा" जोड़ा जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन । विधेयक के खंड 6 में माननीय सदस्य श्री भोला यादव एवं श्री रामदेव राय जी द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है । इसलिये क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ? अनुपस्थित ।

अगला संशोधन । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

अगला संशोधन । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 7 एवं 8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 9 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 9 के उपखंड (1) के मद (i) के प्रथम पंक्ति के शब्द "वैसी" के पूर्व शब्द समूह "निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित" जोड़ा जाय ।"

यह देखियेगा इसमें दिये हैं खंड 9 के उपखंड 1 के मद (i) के प्रथम पंक्ति की शब्द वैसे अभिलेख के निरीक्षण के लिये उपस्थापना की अपेक्षा करना जो अधिनियम के अधीन शुल्क की राशि को निश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक है। लेकिन मैं यह दिया हूं कि निश्चित रूप से इसे निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कराया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 9 के उपखंड (1) के मद (i) के प्रथम पंक्ति के शब्द "वैसी" के पूर्व शब्द समूह "निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित" जोड़ा जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड 9 के उपखंड (1) के मद (ii) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :- "तलाशी लेने के पूर्व वरीय पदाधिकारी की सहमति आवश्यक होगी तथा ध्यान रखना होगा कि तलाशी किसी पूर्वाग्रह पर आधारित न हो।"

महोदय, मैं ने यही कहा है । कारण यह है कि निम्नलिखित प्रयोजनार्थ किसी परिसर में प्रवेश करना तलाशी लेना, जहां उर्जा की आपूर्त्ति की जाती हो या आपूर्त्ति किये जाने का विश्वास हो । तलाशी लेने के लिये महोदय, आप देख लीजिये 2003

का तलाशी लेने का क्या नियम है । क्या कायदा है, क्या कानून है । उसके लिये इन्होंने कोई प्रावधान किया है । सीधे तलाशी की बात लिख दी है । तो मेरा इसमें अनुरोध है कि तलाशी लेने से पहले आप वरीय पदाधिकारी से, इसमें लिखा है कि रेगुलेटरी कमीशन से राय लेनी चाहिए तलाशी के पूर्व क्योंकि गरीब के घर में आप घुस जाईयेगा, बड़ी कंपनी जो आयी है उसके घर में तो आप जाईयेगा नहीं । चाय पीकर वहां से लौट जाईयेगा । गरीब के घरमें आप घुस जाईयेगा और तलाशी लीजियेगा, उसके लोग खेत पर काम कर रहें होंगे और दो बोतल शराब रखकर पकड़ लीजियेगा । इसलिये इसको आप रोक दीजिये । अगर ऐसा करते हैं तो वरीय मजिस्ट्रेट जो डी0एम0 होते हैं या आप जिसको डिप्यूट करें, उसके जरिये उनको सत्यापित कराये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड 9 के उपखंड (1) के मद (ii) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"तलाशी लेने के पूर्व वरीय पदाधिकारी की सहमति आवश्यक होगी तथा ध्यान रखना होगा कि तलाशी किसी पूर्वाग्रह पर आधारित न हो । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय आप अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : फिर अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 9 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-14/सत्येन्द्र/28-3-18

अध्यक्ष: खंड-10 में 04 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी ।

(मूव नहीं किया गया)

अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय: खंड-10 में कोई संशोधन मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में 6 संशोधन है । क्या माननीय श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-11 के उप खंड-2 के अंत में शब्द समूह '' जो एक माह से अधिक का न हो'' जोड़ा जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-11 के उप खंड-2 के अंत में शब्द समूह '' जो एक माह से अधिक का न हो'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय: खंड 11 पूरा छोड़ देते हैं, मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: नौट मूव्ड ।

(खंड-11 के बाकी संशोधन मूव नहीं किये गये)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-12 के उप खंड(3) के अंत में शब्द समूह '' इसके लिए अपीलकर्त्ता को न्यायाधिकरण को अपनी असमर्थता से आश्वस्त कराना होगा'' जोड़ा जाय ।''

इसको आश्वस्त करना होगा अपीलकर्त्ता को कि क्यों हम समय पर नहीं आये । देखिये, हम सरकार को मदद कर रहे है श्रीमान् और तब भी एक को मंजूर नहीं करते हैं लेकिन अब तो मंजूर होगा चूंकि मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, हम उन्हीं की उस समय से मदद कर रहे हैं कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े, आप सरकार कैसे चलावें, मैं वही कह रहा हूँ कि उसको, अपीलकर्त्ता को न्यायालय को आश्वस्त करना होगा कि हम किस कारण हाजिर नहीं हो सके ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-12 के उप खंड(3) के अंत में शब्द समूह '' इसके लिए अपीलकर्त्ता को न्यायाधिकरण को अपनी असमर्थता से आश्वस्त कराना होगा'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अगला संशोधन,माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' कि विधेयक के खंड-12 के उपखंड-6 के अंत में शब्द समूह ''पक्षकारों एवं प्राधिकारी को भी न्यायाधिकरण के समक्ष अपना विचार रखने का मौका न्यायाधिकरण से याचना के पश्चात् किया जा सकता है'' जोड़ा जाय ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: रामदेव बाबू जब से वोटर बने हैं, 25 साल की उम्र में संभवत: इनके समय में बनता होगा । उसके बाद से जितना उम्र है, उतना संशोधन ये ले आये हैं महोदय, समरूपता है दोनों में ।

अध्यक्ष: अगर अपने उम्र के बराबर किये हैं तो उम्र से ज्यादा न देकर के तो अच्छा ही न किये हैं, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं ।

श्री रामदेव राय: इसके लिए भी कि इनकी सरकार की उम्र बढ़े, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी इन्हें चिन्ता नहीं है क्योंकि सरकार सुपुर्द कर दी है हमलोगों को, वे जानते हैं कि अब हमलोग आ रहे हैं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' कि विधेयक के खंड-12 के उपखंड-6 के अंत में शब्द समूह ''पक्षकारों एवं प्राधिकारी को भी न्यायाधिकरण के समक्ष अपना विचार रखने का मौका न्यायाधिकरण से याचना के पश्चात् किया जा सकता है ।'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-13 में कोई संशोधन नहीं है ।

टर्न-15/मधुप/28.03.2018

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-14 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"विधेयक के खंड-14 के अंत में शब्द समूह "चूक, अभिलेख से प्रकट होने पर इसे न्यायाधिकरण द्वारा किसी विधि विशेषज्ञ से जॉंच करवाई जानी चाहिये" जोड़ा जाय ।"

मतलब, चूक अगर किसी से हो जाय तो आप दंड देने के पहले न्यायाधिकरण या किसी विधि विशेषज्ञ से जॉंच करवा कर ही उसको किसी प्रकार का दंड दीजिये । मैं यह कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-14 के अंत में शब्द समूह "चूक, अभिलेख से प्रकट होने पर इसे न्यायाधिकरण द्वारा किसी विधि विशेषज्ञ से जॉंच करवाई जानी चाहिये" जोड़ा जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : छोड़ देते हैं । मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-16 में दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-16 के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''न्यूनतम दो न्यायाधीशों द्वारा'' तथा तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''के न्यूनतम दो न्यायाधीशों की पीठ'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया है क्योंकि माननीय न्यायाधीशों को केस आवंटित करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश का है । यह प्रावधान मुख्य न्यायाधीश के अधिकार पर अतिक्रमण है । इसलिये इसकी सुनवाई एक न्यायाधीश करें या दो, इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-16 के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''न्यूनतम दो न्यायाधीशों द्वारा'' तथा तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''के न्यूनतम दो न्यायाधीशों की पीठ'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामदेव राय जी, अगला संशोधन आप मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-16 के प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई न्यूनतम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना'' के स्थान पर शब्द समूह ''मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है कि वे एकलपीठ से सुनवाई करे या फिर डबल बेंच से या फुल बेंच से वह सरकार या किसी व्यक्ति की राय वैधानिक नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

हुजूर, मैं पहले भी कह चुका हूँ जनमत जानने के सवाल पर, सरकार से यह बहुत भूल हुई है, चूक हुई है कि मा0 उच्च न्यायालय को आप डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन देने का कहीं प्रावधान नहीं है इसलिये यह नहीं रहना चाहिये, दो जज से वह करावे या एकलपीठ से करावे या डबल बेंच से करावे, यह उनके क्षेत्राधिकार की चीज है । इसलिये हमने यह संशोधन लाया है कि यह न्यायालय पर छोड़ा जाय ।

हुजूर, मेरा निवेदन है कि इसपर भी तो सरकार से कुछ कहवाइये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, रामदेव बाबू पूछ रहे हैं कि यह संशोधन आपको स्वीकार्य है ?

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : एक चीज भी तो बोलिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-16 के प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई न्यूनतम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना'' के स्थान पर शब्द समूह ''मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है कि वे एकलपीठ से सुनवाई करे या फिर डबल बेंच से या फुल बेंच से वह सरकार या किसी व्यक्ति की राय वैधानिक नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-17 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, छोड़ देते हैं । मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-18 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-18 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''अथवा वापस ले सकेगा'' को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-18 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''अथवा वापस ले सकेगा'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : छोड़ दिया । मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-18 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-19 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"विधेयक के खंड-19 के मद (ग) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "दस हजार" के स्थान पर शब्द समूह "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाय तथा उपखंड (ग) के अंत में शब्द समूह "ऐसे दंड के विरोध में न्यायाधिकरण के समक्ष एक माह के भीतर अपील किया जा सकता है" जोड़ा जाय ।"

हुजूर, आप स्वयं समझ सकते हैं । दस हजार जो जुर्माना देगा, उसको हम कह रहे हैं कि एक हजार जुर्माना हो, गरीब लोगों का एक हजार रखा जाय । एक हजार जुर्माना लीजिये और न्यायाधिकरण के समक्ष उसको एक माह का समय दीजिये अपील करने का, अगर आपके खिलाफ जाता हो । यही मेरा संशोधन है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-19 के मद (ग) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "दस हजार" के स्थान पर शब्द समूह "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाय तथा उपखंड (ग) के अंत में शब्द समूह "ऐसे दंड के विरोध में न्यायाधिकरण के समक्ष एक माह के भीतर अपील किया जा सकता है" जोड़ा जाय ।"

श्री रामदेव राय : नहीं महोदय । हाँ के पक्ष में बहुमत है ।

अध्यक्ष : मैं इसे फिर से रखता हूँ ।

प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-19 के मद (ग) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "दस हजार" के स्थान पर शब्द समूह "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाय तथा उपखंड (ग) के अंत में शब्द समूह "ऐसे दंड के विरोध में न्यायाधिकरण के समक्ष एक माह के भीतर अपील किया जा सकता है" जोड़ा जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-19 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-16/आजाद/28.03.2018

अध्यक्ष : खंड-20 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव तो करते, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं तो थोड़ा सहम रहे हैं चूँकि वे इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी क्रोध में मैं मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : नहीं करेंगे, धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''विधेयक के खंड-20 के उपखंड (1) के परन्तुक के दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है अथवा'' को विलोपित किया जाय । ''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि इस वाक्यांश को हटा दिये जाने से परन्तुक अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो जाता है । इस वाक्यांश को हटाने से बनता है वह दायी नहीं होगा, यदि उसने उस अपराध को होने से रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था । अब एक प्रचलन हो गया है मौखिक आदेश से, दूषित मंशा का व्यक्ति मौखिक आदेश से काम करवा लेगा और बाद में मुकर जायेगा कि मेरे संज्ञान में नहीं था । ऐसी स्थिति में वह बच निकलेगा, जब उच्चतर पद पर कोई व्यक्ति होता है तो सारी जिम्मेदारी उसी की होती है । यदि यह संशोधन नहीं माना जाता है तो अपराध में सम्मिलित होने पर भी कागजी तौर पर दोषी व्यक्ति अनजान बनकर बच जायेगा । इसलिए इस संशोधन को सरकार स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक के खंड-20 के उपखंड (1) के परन्तुक के दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है अथवा'' को विलोपित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-20 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-20 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-21 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"विधेयक के खंड-21 के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द "सदभाव" के स्थान पर शब्द "राज्यहित" प्रतिस्थापित किया जाय।"

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि सदभाव शब्द व्यापक और छिपा हुआ है । मनोभाव का आकलन करने का कोई यंत्र नहीं बना है । सदभाव के नाम पर जानबुझ कर गलती की जा सकती है लेकिन राज्यहित की परिभाषा सबके सामने स्पष्ट है । राज्यहित में कोई निर्णय लिया गया और बाद में भूल पायी गयी तो उसपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ । यही मेरा आशय है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न यह है कि :-

"विधेयक के खंड-21 के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द "सदभाव" के स्थान पर शब्द "राज्यहित" प्रतिस्थापित किया जाय।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री रामदेव राय : मैं मूव नहीं करूँगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"खंड-21 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-22 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं इसलिए मूव करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इसकी अहमियत को समझें ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"विधेयक के खंड-22 के मद (ञ) के बाद एक नया मद (ट) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"(ट) प्राकृतिक विपदाओं के समय विद्युत शुल्क को माफ करने । "

कारण यह है सर कि विद्युत शुल्क माफ करने के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वह राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । उसमें बहुत से नियम हैं, पढ़ने से ज्यादा समय मिल जायेगा । इसमें अन्त में एक नियम जरूर बना दीजिए

कि यह प्राकृतिक विपदाओं के समय में जो संकट आता है, उसमें विद्युत शुल्क माफ करने की शक्ति राज्य सरकार को हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"विधेयक के खंड-22 के मद (ञ) के बाद एक नया मद (ट) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"(ट) प्राकृतिक विपदाओं के समय विद्युत शुल्क को माफ करने । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"खंड-22 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-22 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-23 एवं 24 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"खंड-23 एवं 24 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-23 एवं 24 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अनुसूची में 5 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी सर ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 1 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "पाँच" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि दर अधिक रखा गया है, गरीब राज्य है, यहां के आवासी को कुछ राहत मिल सके, इस उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 1 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "पाँच" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के सदन में आने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है । अगर ये सदन में नहीं आते तो यह अब तक खत्म हो गया रहता ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : यह बात ठीक कहते हैं महोदय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर इतना भरोसा विपक्ष के लोगों को भी है, अगर वे आ गये हैं तो मेरी बात सुनेंगे और मेरा समाधान करेंगे, इसलिए ऐसा होता है ।

अध्यक्ष : नन्द किशोर बाबू, आप कोई नया संशोधन आमंत्रित कर रहे हैं क्या ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, विपक्ष तो मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक पद है, उसकी कद्र करता ही है । मगर सत्ता पक्ष में रहकर के आप मुख्यमंत्री के पद का सम्मान नहीं देते हैं तो यह बड़ा गड़बड़ है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : बगल वाले को भी कभी-कभी समझा दिया करिए न ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

> ''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 2 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''तीस'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, यह भी पहले संशोधन से जुड़ा हुआ है और इस संशोधन का आशय दर में कमी करना है । बिहार गरीब राज्य है और यहां छोटे-छोट उद्योग ही है । उन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है । इसलिए यह संशोधन आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

> ''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 2 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''तीस'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

> ''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 3 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''बीस'' के स्थान पर शब्द ''पॉच'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, यह भी पहले संशोधन से जुड़ा हुआ है और इस संशोधन का आशय दर में कमी करना है । आप अवगत है कि बिहार कृषि पर आधारित है और कृषि एवं

कृषि जन्य छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है । इसलिए यह संशोधन दिया है ।

टर्न-17/शंभु/28.03.18

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक-3 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''बीस'' के स्थान पर शब्द ''पॉच'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक-4 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''तीस'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह भी पहले संशोधन जैसा ही है । इस संशोधन का आशय दर में कमी करना है । अस्थायी विद्युत् आपूर्ति संबंधन कई प्रयोजनों के लिए ली जाती है जिसमें धार्मिक प्रयोजन भी है । इस दर पर अस्थायी विद्युत् संबंधन लेना धार्मिक आयोजनों के खर्च को बढ़ा देगा और लोगों की धार्मिक भावना पर इससे चोट पहुंचेगी । इसलिए इसमें न्यूनतम स्तर पर रखा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक-4 के दर कॉलम में प्रथम पंक्ति के शब्द ''तीस'' के स्थान पर शब्द ''दस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 6 के दर कॉलम में चौथी पंक्ति के शब्द ''पंद्रह'' के स्थान पर शब्द ''पॉच'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह भी पहले संशोधन जैसा ही है । इस संशोधन का आशय दर में कमी करना है । इस संशोधन का उद्देश्य छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के लिए कम उपभोग चार्ज निर्धारित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के अनुसूची भाग-क के क्रमांक 6 के दर कॉलम में चौथी पंक्ति के शब्द "पंद्रह" के स्थान पर शब्द "पॉच" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(इस अवसर पर मा0स0अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विद्युत् शुल्क विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं बोलें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, जो उद्देश्य में इन्होंने जिक्र किया है कि चूंकि जी0एस0टी0 के दायरे में यह नहीं है । इसी वजह से इसको जी0एस0टी0 के दायरे में लाया गया है । जहां तक जी0एस0टी0 के दायरे में नहीं है, इसलिए अलग से टैक्सेशन करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है । महोदय, बैठ जाएं क्या?

(व्यवधान)

महोदय, ऐसे मंत्रियों का आपको कान ऐंठना चाहिए जो बैठे-बैठे मेम्बर को डिस्टर्ब करता हो ।

(व्यवधान)

फिर भी बैठे हुए हैं । महोदय, मैं आप के ही तरफ देखकर बोलता है ।

अध्यक्ष : आप देर आये मगर दुरूस्त आये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हम तो हमेशा दुरूस्त आते हैं, मगर यहां एक कहावत है मिथिला में कि थेथरा रे थेथरा की करै छी, लात जूता खाय छी निकै रहै छी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इनकी पार्टी का भी यही हाल है इसीलिए यह उसी के अभ्यस्त हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : ट्रेंड होकर मेरे ही यहां से गये हैं ।

अध्यक्ष : अब आप विषय पर ही रहिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, विषय पर ही आ रहा हूँ । महोदय, विधायक का सबसे बड़ा दायित्व विधायी कार्यों में होता है और विधायी कार्य में जो कानून बनाना है वह कानून बनाने में विधायक की रूचि सबसे ज्यादा होती है । इस वजह से कि अगर कोई काला कानून बन जाता है और उस कानून का दुष्प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है तो विधायक ही कोपभाजन होता है । मैं तो रामदेव बाबू को बधाई देता हूँ कि रामदेव बाबू ने बड़ी गंभीरता से और नये सदस्य समीर महासेठ ने, मगर अब बहुत सारे लोग हंस रहे थे तो हंसिये, मगर इसका जो कुप्रभाव पड़ेगा । आप हां-हां बोलें तो जनता आपको ना-ना बोलावेगी । अब महोदय दोहरा मार पड़ने जा रहा है । एक माननीय मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो कम से कम यह जरूर बता देंगे कि किन-किन राज्यों ने अभी लागू नहीं किया और किन-किन राज्यों ने लागू कर दिया और इससे आपको अनुमानित आय कितनी होनेवाली है और अनुमानित आय जो आपकी होगी, घुमाफिराकर अन्ततोगत्वा आम आदमी पर ही भार पड़ेगा । भले आप अभी कह रहे हैं कि उत्पादन करनेवाला कंपनी और फलाना और दूसरा मगर अंततोगत्वा इसका भार पड़ना है आम आदमी पर, किसान पर, साधारण आदमी पर, कर्मचारी पर, हमपर और जहां तक कंपनी के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, मगर एक अपना अनुभव बता देते हैं । कहने को तो होगा कि कंपनी को विद्युत् वसूलने के लिए दिया गया है- दोहरा मार एक तो विद्युत् नियामक बोर्ड का और दूसरा जो कंपनी पैसा उसपर टैक्सेशन होगा तो कहीं न कहीं से पूर्ति करेगा और कहीं न कहीं से पूर्ति जब करेगा तो उसका एक एग्जामपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने लिखित विधान सभा में दिया । मैं जब 3 पोलो रोड में रहा करता था दो महीने का बिल मुझको आया 1 लाख 80 हजार रूपया जब कि कितना छूट है किस हद तक,

तब मैंने जब विधान सभा कार्यालय को लिखकर दिया कि इसकी जॉच करायी जाय। जब जॉच करायी गयी तो मालूम हुआ कि मीटर बहुत फास्ट था और हमारा जब जॉच हुआ तो एक महीना में 5 हजार रूपया हुआ । तब आप किसी ने किसी रूप में बिहार की जनता पर, किसान पर, उद्योग पर, छोटे उद्योग पर भार डालने जा रहे हैं, यह कहना था । दूसरा महोदय, इन्होंने ड. में जिक्र किया है कि उपभोग चार्ज से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा तथा किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जो किसी उपभोक्ता को ऐसी अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करता है जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के मांग चार्ज, परिवर्तनीय चार्ज जैसे ऊर्जा चार्ज, इंधन समायोजन चार्ज तथा विश्वसनीयता चार्ज शामिल हैं ।

क्रमशः

टर्न-18/अशोक/28.03.2018

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : क्रमशः... तथा विश्वसनीयता चार्ज शमिल है । मेरे कहने का मतलब है महोदय कि यह मार पड़ना है आम जनता पर और भले हम कुछ कहते रहे मगर मार पड़ेगी जनता पर और उसी तरह महोदय इन्होंने विलम्ब का जिक्र किया है । यह विलम्ब का किस पर पड़ेगा, इसमें लिखा है कि पहले तीन माह के लिए डेढ़ प्रतिशत और उसके बाद उस राशि के भुगतान तक प्रति माह दो प्रतिशत की दर से भुगतेय होगा और उस पर किसी भी ब्याज के साथ वह राशि वसूली के विशेष ढंग के माध्यम से अथवा भू राजस्व के रूप से वसूलनीय होगी । महोदय, सरकार जन कल्याण के लिए है और सरकार जनता के लिये है, मगर सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और मैं अभी भी कहूंगा कि ठीक है सरकार को टैक्स चाहिये, टैक्स सरकार को इस वजह से भी चाहिये कि उसी से विकास के कार्य भी होते हैं मगर टैक्स जो हम मार खायें, हम और भोगें, आप तो इस वजह से टैक्सेशन, एक इतना सेंसिटिव मामला है कि जब हम टैक्सेशन करते हैं तो हमको देंखना पड़ता है कि आम जन पर इसका कितना असर पड़ना है घुमा के फिरा कर या डायरेक्ट इस वहज से यह कानून अंततोगतव्या भले इससे आपकी आय बढ़ जायेगी, आपका नेटवर्क, आपका टैक्स का इससे बहुत बढ़ जायेगा, मगर इसका कोप भाजन आपको आज न कल पड़ेगा, इस वजह से मैं मानता हूँ कि यह दोहरा मार आम आदमी पर, किसान पर, छोटे उद्योग पर, कुटीर उद्योग पर जो पड़ने वाला है उससे बचिये और सोच विचार करके कानून लाइये । टैक्स चाहिये, टैक्स जनता देती है, देगी मगर इस तरह से आमजन पर दोहरा मार नहीं पड़े, यही कहना था मुझे महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक । माननीय मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले रामदेव बाबू को धन्यवाद देना चाहूंगा इसलिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो विनियोग विधेयक है, जिसमें एक

लाख 76 हजार करोड़ सदन ने पारित किया विनयोग विधेयक खर्च करने का अधिकार, वह पारित हो गया 45 मिनट में और ये जो विद्युत शुल्क अधिनियम विधेयक है, इसको पारित होने में पौने दो घंटे से ज्यादा समय लगने वाला है, हम इसलिये धन्यवाद देना चाहते हैं कि भले ही आपकी बात को सरकार ने स्वीकार नहीं किया लेकिन बड़ी मेहनत किया उन्होंने या तो खुद मेहनत किये होंगे या आपके सहयोगी ने मेहनत करके तैयार किया हो, लेकिन काफी रिसर्च किया उन्होंने, और धन्यवाद आपको । अध्यक्ष महोदय, माननीय समीर कुमार महासेठजी ने भी कुछ संशोधन मूव किया था और अंत में माननीय पूर्व मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी ने भी अपनी बातों को रखा है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, यह कोई नया टैक्स नहीं है, और न कोई जनता पर कोई अतिरिक्त भार दिया जाने वाला है । यह एक पुराना कानून था, सदन को बतलाना चाहूंगा कि इन्डिया एलेक्ट्रीसिटी एक्ट, यह 1910 का बना हुआ था और उसके आधार पर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 बना था, जो बिहार में आज तक लागू था । 2003 में जब श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब केन्द्र में प्रधान मंत्री थे और फिर श्री नतीश जी उस समय रेल मत्री थे उस समय अटलजी की सरकार के समय में और एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट, 2003 बनाया गया था तो एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट,1910 और नया बन गया 2003 और जिसके आधार पर विद्युत कम्पनियों को पांच भाग में बिहार के अन्दर भी विभक्त किया गया तब जब बदली हुई हुई परिस्थिति थी, 1948 का कानून था और यह एलेक्ट्रीसिटी डयूटी है यानी जो बिजली का बिल आप भुगतान करते हैं तो बिजली कम्पनी, यानी वाणिज्य कर विभाग उसमें एलेक्ट्रीसिटी डूयूटी लगता है, पहले भी ड्यटी लगती थी और आज भी ड्यटी लगेगी केवल अंतर यह है कि पुराने कानून को निरस्त कर के एक नया कानून बनाया गया है और उसका सबसे बड़ा कारण था कि पिछले अनेक वर्षो के अन्दर काफी बदलाव आया है विद्युत के क्षेत्र में और इसलिये एक नया अधिनियम यहां पर उपस्थापित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, ये पूछ रहे थे किन-किन राज्यों ने- तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश ऐसे अनेक राज्यों ने अपने विद्युत शुल्क अधिनियम में यथोचित परिवर्त्तन किया है, वास्तव में यह तो अधिनियम और पहले आना चाहिये था हमलोगों को देर हो गई है इस अधिनियम को लाने में लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी है यह एक प्रकार का कंजम्पसन टैक्स है, जो उपभोग करेगा उसको भुगतान करना है, जो बिजली का बिल देगा, जो बिजली का उपभोग करेगा उसको यह एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी दिया जाना है, अभी यह जो विद्युत शुल्क है, एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी है, यह जी.एस.टी. का हिस्सा नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे, आगे आने वाले दो चार साल के अन्दर यह जी.एस.टी.का हिस्सा बन जाय इसलिये विद्युत क्षेत्र में काफी बदलाव आया

है, उदाहरण के लिए यह जो पावर ट्रेडिंग है, नई-नई अवधारणायें आई है, एक्सचेंज ऑफ पावर, ऑपेन एक्सेस, पावर ट्रेडिंग अब कोई भी सरकार चाहे तो सीधे ऑपेन मार्केट में जाकर के बिजली खरीद सकती है अगर कोई बड़ा उद्योग भी चाहे तो बिजली कम्पनी से बिजली खरीदने के बजाय जो पावर एक्सचेंज है, वहां पर भी जाकर बिजली खरीद सकता है इसको औपेन एक्सेस कहते हैं । यह जो विद्युत के क्षेत्र में और बड़े पैमाने पर जो रिफार्म आया, जो सुधार आया और जिसके अन्तर्गत बिहार में भी 2012 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पांच कम्पनियों, पावर होल्डिंग कम्पनी, ट्रांसमिशन के अलग कम्पनी, डिस्ट्रीब्यूशन के अलग कम्पनी और जनरेशन के अलग कम्पनी, इस तरह से पांच कम्पनियों में उसका बंटवारा किया गया, उसको विभक्त किया गया और ऊर्जा के क्षेत्र में जो नये सुधार आये हैं उसको ध्यान रखत हुये और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को देखते हुये हमलोगों ने भी एक नया अधिनियम, पुराने अधिनियम को निरस्त करके, एक नया कानून बनाया है और मैं आदरणीय सिद्दिकी साहब को यह कहना चाहूंगा कि जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है, जो पहले की व्यवस्था थी, नये तरीके से उस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है और पहले के कानून में और अभी के कानून में क्या अंतर है, मैं केवल दो चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि जब ये 1948 का जब यह ऐक्ट बना उस समय निजी क्षेत्र के अंदर पावर कम्पनियां काम नहीं करती थी इसलिये पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में ही बिजली का उत्पादन होता था लेकिन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के बाद, निजी क्षेत्र के लिये भी अवसर उत्पन्न हुये हैं, इसलिये भी इसके लिये नया कानून लाया जाना और आवश्यक था साथ ही साथ जो पुराना कानून था, उसमें विद्युत ऊर्जा की बिक्री एवं उसका उपभोग दोनों में मामलों विद्युत शुल्क दिया जाना पड़ता था, केवल कंज्यूम करने वाला नहीं जो बिक्री करते थे वहां भी टैक्स लगता था और बिक्री करने के बाद जो उपभोग करेगा उसको भी टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब जो नया कानून आ रहा है उसके अन्दर केवल विद्युत ऊर्जा का जो उपभोग करेगा, उसी को एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी दिये जाने का प्रावधान किया गया है । तीसरा अध्यक्ष महोदय, पुराने कानून के अन्दर बिक्री के प्रत्येक चरण पर एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगती थी, हर चरण पर, अगर हमने आपको बेचा तो टैक्स लगेगा, उसने आगे बेचा तो टैक्स लगेगा लेकिन अब जो यह बिल आ रहा है इसमें बिक्री के प्रत्येक चरण से हटा कर अंतिम चरण पर कर जो है वह अधिरोपित होगा साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, पुराने अधिनियम में पावर ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ पावर, औपेन एक्सेस- इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था । नये विद्यत अधिनियम के अन्तर्गत पावर ट्रेडिंग, एक्सचेंज ऑफ पावर, ऑपेन एक्सेस के मामलों में किस तरह से करारोपन होगा इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है । पुराने अधिनियम के अन्दर

उपभोक्ताओं की केवल दो ही श्रेणी बनाई गई थी लेकिन अब इसके अन्दर उपभोक्ताओं की अनेक श्रेणियों का निर्धारण इसके माध्यम से किया गया है और अध्यक्ष महोदय, जो अभी वर्त्तमान में जो एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगती है, डोमेस्टिक पर सोलह पैसा क्रमशः...

टर्न-19/28-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः डोमेस्टिक पर 16 पैसा, 17 पैसा, 19 पैसा डोमेस्टिक अर्बन में 26 पैसा, 30 पैसा, 35 पैसा तो आज भी यह विद्युत शुल्क संग्रहित किया जा रहा है । यह जो बिजली बोर्ड या बिजली कंपनी है, वह उपभोक्ता से बिजली के बिल के साथ साथ उसकी बिक्री करने के एवज में विद्युत शुल्क जो है, वह संग्रह करती है और संग्रह करके वाणिज्य कर विभाग को वह दे देती है और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 2012-13 में 101 करोड़ रुपया इससे प्राप्त हुआ, 13-14 में 140 करोड़ रुपया, 14-15 में 373 करोड़ रुपया, 15-16 में 297 करोड़ रुपया, 16-17 में 225 करोड़ रुपया और 17-18 में जनवरी तक 157.16 करोड़ रुपया इससे प्राप्त हुआ है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमने इसमें प्रावधान किया है कि अधिकतम हम कितना ले सकते हैं । इसका मतलब यह नहीं कि अधिकतम हम उतना लेंगे इसलिए जो 20 परसेंट, 30 परसेंट का जो जिक्र आया है ताकि अगर आज से 10 साल के बाद कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी डियूटी ज्यादा संग्रह करना हो, तो हमने केवल अधिकतम का उल्लेख किया है और राज्य सरकार यथोचित निर्णय लेगी और मैं सदन को जरुर बताना चाहूँगा कि कोई अतिरिक्त बोझ लोगों पर न पड़े, इसका पूरा सरकार ध्यान रखेगी, इसलिए मैं सदन से आग्रह करुंगा कि यह बिल राज्य हित में है, यह बिल उपभोक्ताओं के हित में है, उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी । बिजली कंपनियों और वाणिज्य कर विभाग में आए दिन विवाद होता था, इसको लेकर एक समय ऐसा आया कि वाणिज्य कर विभाग ने मुकदमा कर दिया विद्युत कंपनियों पर कि वे इलेक्ट्रिसिटी डियूटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें अनेक तरह की विसंगतियाँ थी, जिसके कारण विवाद पैदा होते थे, मुकदमें की स्थिति आती थी, यदि मुकदमा नहीं हुआ लेकिन वाणिज्य कर विभाग और विद्युत कंपनियों के बीच में एक विवाद की स्थिति बनी रहती थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो 1948 का बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम है, उसको निरसित करके, इसको समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 को प्रख्यापित करने के लिए हम सदन में आए हैं,

इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से, सदन से आग्रह करुंगा कि इस बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 2018 को सर्वसम्मति से सदन पारित करने का काम करें ।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ और्डर है ।

अध्यक्ष: अब क्या प्वायंट औफ और्डर है ?

श्री रामदेव राय: अभी ही तो सब कुछ है, मंत्री जी भाषण में कहीं भी.........

अध्यक्ष: प्वायंट औफ और्डर तो नियमापत्ति पर होती है । किस तरह की आपत्ति है ?

श्री रामदेव राय: अपना नियम ।

अध्यक्ष: यहॉं सदन के नियम पर आपत्ति होती है ।

श्री रामदेव राय: देखिये सर, माननीय मंत्री कहे कि अपने मेहनत किए होंगे या सहयोगी के जरिये पर, मंत्री जी, जरा इसको पढ़िये तो आकर जरा, आप दूसरी बात निवेदन करता हूँ कि मान लीजिये कि मैं रट कर आया हूँ, हम बोगस लड़का थे पढ़ने में, कोई अच्छा घर के थे भी नहीं, हम यह कहना चाहते हैं कि इतना संशोधन में एक संशोधन भी अच्छा नहीं लगा आपको, यह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा कार्य संचालन है ।

अध्यक्ष: रामदेव बाबू, अब तो इनको अच्छा लगेगा, तब भी कुछ नहीं होगा, वह अस्वीकृत हो चुका है ।

श्री रामदेव राय: जी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष: मैं इसे फिर से रखता हूँ । प्रश्न यह है कि :

''बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार राज्य उच्चत्तर परिषद् विधेयक, 2018''

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ । प्रभारी मंत्री, विचार का प्रस्ताव ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

अध्यक्षः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि विधेयक में उल्लेख किया गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनाँक 28-03-2014 द्वारा औपबंधिक रुप से राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद का गठन किया गया है, चार वर्षो के बाद आज तक 2014 में गठित उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के कार्यकलाप का कहीं कोई उल्लेख विधेयक में या प्रतिवेदन के तौर पर सदन में प्रतिवेदित नहीं है । विभागीय अधिसूचना द्वारा गठित परिषद् द्वारा कौन से काम किए गए हैं, क्या उपलब्धियॉं हुई, इसका कोई विवरण उद्देश्य या हेतु में रहना चाहिए था ताकि आज उससे स्थायित्व प्रदान करने संबंधी विधेयक को यह सदन स्वीकृति दे या इसपर विचार किया जाय, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष : ठीक है । अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव रायः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

'' बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 दिनॉंक 30 जून, 2018 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

मैं इसलिए कह रहा हूॅं सर, बहुत शौर्ट में कह रहा हूं, रोक रहे हैं मंत्री जी, मेरे पास स्टौक भी नहीं है कोई वैसा । मैं इसलिए कह रहा हूॅं कि विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । आप देखेंगे हुजूर, इसके अंत में अभी लोक सेवा आयोग के जरिये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, यह प्रभावी होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी, अब आप ही इंसाफ कीजिये, एक भी तो इंसाफ करिये कि क्या जरुरत है, तब इस 2018 के विधेयक की, क्यों सीधे मंत्री को लोग मुर्ख बना रहे हैं, इतने अच्छे आदमी हैं बताईये, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति लोक सेवा आयोग करेगा ही, अभी भी यह प्रभावी होने के बाद देख लीजिये, बिल पढ़ लीजिये और फिर इस ऐक्ट में प्रावधान किए हैं कि उसी दिन निरस्त हो जायेगा। यह निरसित हो जायेगा, प्रभावी होते हुए निरसित हो जायेगा आगे है लेकिन इसमें परंतु देखा जाय सर । उसमें है कि परन्तुक करके जो इसमें लिखा गया है कि लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, वह जारी रहेगी । दूसरी बात मैं बताना चाहता हूॅं सर, कि यह 2017 का संशोधन है और इसका आप निरसन पढ़ लीजिये, क्लियर हो जायेगा परसेप्शन आपका, बिल्कुल क्लियर 2017 के संशोधन में क्या है, उसकी जरुरत ही नहीं थी, 2017 में 11 (2) में स्पष्ट है कि ऐसे निरसन होते हुए भी बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर बिहार राज्य विद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन किया गया कुछ भी, अथवा की गयी कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उक्त तिथि को प्रवृत था ।

क्रमशः

टर्न-20/28.3.2018/बिपिन

श्री रामदेव राय : क्रमशः तो वही बात इसमें दुहरा दिया है सर । इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आप नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए यह अधिनियम बनाए हैं तो आप नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ भी नहीं दिए । कोई पावर आप नहीं लिखे इस आयोग को । इस आयोग का गठन कैसे होगा, उसमें भी जो आपको पारदर्शिता बरतनी चाहिए, वह पारदर्शिता बरती नहीं गई है हुजूर । देखा जाए सर - इसमें है सर कि 11(1) में संशोधन ये कर रहे हैं । बिहार राज्य विद्यालय सेवा अधिनियम, 1976 के अधीन बिहार लोक सेवा आयोग की विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति निरसित समझी जाएगी ।

पुनः 2 में निरसन के बावजूद लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 4(6) के अधीन किया गया या की गई, यह नियम के अधीन समझा जाएगा यानी लोक सेवा को यहां भी शक्ति

कायम रही है । फिर 2018 के अधिनियम की जरूरत नहीं है । इसके अलावे हमारे पास क्या कमी है ? हमारे पास आयोग है, हमारे पास उच्च शिक्षा के लिए कमीशन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए है, बोर्ड है, इण्टरकॉसिल है, हमारे पास विभाग में प्रधान सचिव भी बहुत अच्छे हैं, विद्वान आदमी हैं । अभी आप इनसे काम नहीं लेते हैं और मंत्रीजी को बना देंगे, शिक्षा परिषद गठन करके मंत्रीजी को बना देते हैं आप अध्यक्ष । अध्यक्ष बना दिए मंत्री जी को, मंत्रीजी मंत्री भी हैं और इसके अध्यक्ष भी होंगे और इनकी उम्र 85 रहेगी लेकिन उपाध्यक्ष जो होंगे वे 75 वर्ष रहकर रिटायर कर जाएंगे, यह कौन-सा नियम है, बता दीजिए । इसलिए मैंने सजेस्ट किया है उसमें कि आप, जो हमारे प्रधान सचिव हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाइये । कहीं प्राइवेट से मत लाइए । शिक्षा विभाग में इतने अच्छे-अच्छे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं शिक्षा का तीन-तीन बार मंत्री रहा हूं । मुझे अनुभव है, अच्छे-अच्छे अनुभव है । पढ़ाई होती नहीं है । गांव में स्कूल बंद है, इसलिए प्लेट चलता है । प्लेट भी खाली ही जाता है। बोल दीजिए गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे ? हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ेंगे, श्रीमान का बच्चा, आप तो गरीब वर्ग के हैं, हमलोग अमीर हैं, आप तो गरीब हैं । श्रवण बाबू काफी गरीब हैं । इनका बच्चा कहां पढ़ेगा ? बोलिए श्रवण बाबू । गांव के स्कूल में चले जाइए, क्या स्थिति है ? हमारे प्रधान सचिव गांव में जाएंगे क्या ? क्यों आप ऐसा कानून बना दिए ? क्यों ऐसा रूल बना दिए ? प्राथमिक शिक्षा गायब है और उच्च शिक्षा के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का संचालन बड़े-बड़े लोगों के हाथों के द्वारा होता है । तो आप विश्वविद्यालय खोलते हैं । जो हमारे पास विश्वविद्यालय है तो प्राइवेट आदमी को कहते हैं विश्वविद्यालय चलाओ । वाह रे वाह ! यह क्या कानून है ? स्कूल के लिए नहीं, प्राथमिक शिक्षा के लिस्ट में कहीं कोई स्थान, माध्यमिक शिक्षा के लिए कहीं इसमें कुछ है सर ! कोई कमिटी है जिसमें विधायक रहें, बोलिए तो । बोलिए इण्टर कौंसिल में विधायक नहीं रहेंगे, ये शिक्षा परिषद का गठन करेंगे उसमें विधायक नहीं रहेंगे ! इसके अलावे कोई शिक्षाविद नहीं रहेंगे, ये चुने-चुनाए लोग से अपना कमिटी बना कर, परिषद बनाकर ये शिक्षा विभाग को संचालित करना चाहते हैं और हमारे योग्य प्रधान सचिव को ये बैठाकर रखना चाहते हैं उनको फील्ड में कहिए, महीना में एक बार जाएंगे, एक बार घूम जाएंगे, देखिए पढ़ाई-लिखाई में सुधार होगा । आप पैसा खर्च करते हैं, मकान नहीं बन पाता है । ब्लैक बोर्ड नहीं है स्कूल में । चलिए, मध्याह्न भोजन की बात, वह तो जेनरल डिबेट की बात है । इसमें अगर आप परिषद बनाना चाहते हैं हमारे मंत्री जी, मैं उनको डायरेक्शन नहीं करूंगा, इसमें आप प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को भी संलग्न कर दीजिए ताकि हमारे निरीक्षी पदाधिकारी और हमारी यह परिषद उस पर भी अंकुश रख सके । आगे संशोधन में और बात मैं

बोलूंगा, उसपर ध्यान दीजिएगा । आप भी तो मोदी जी का नकल कीजिएगा, आप वैसा नकल मत कीजिए । आप अच्छे आदमी हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, घबराइए नहीं और इसीलिए आप इसपर एक-एक संशोधन हम दिए हैं और ठीक से आप बोलिएगा, नहीं तो हम वोट करायेंगे ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू आप शिक्षा मंत्री जी को अच्छा होने का कई प्रमाण पत्र दे चुके हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

" बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 दिनांक 30 जून, 2018 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

(व्यवधान)

अब मैं फिर से रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

" बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 दिनांक 30 जून, 2018 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

" बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 दिनांक पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डश: लेता हूं । खण्ड-2 में 2 संशोधन है । माननीय सदस्य रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

" विधेयक के खंड-2 के मद (ग) की दूसरी पंक्ति के शब्द "कला" और शब्द "अभियांत्रिकी" के बीच शब्द "डेयरी" अंत:स्थापित किया जाय ।"

महोदय, यह इनका है, यह देख लीजिए सर । इनका है कि उपाधि से देश के किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कला, विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला, अभियांत्रिकी, औषधि, तकनीकी, प्रबंधन विधि या किसी अन्य विषय की उपाधि इसमें स्नात्कोत्तर उपाधि शामिल है । कहीं गोबर उठाने वाले बेचारे की चर्चा नहीं है, इसलिए मैं कहा हूं कि कला और अभियंत्रण के बीच में आप 'डेयरी' शब्द जोड़िये, जो बिहार को ऊंचा स्थान दिला रहा है देश में, दुनिया में, महोदय, आप भी निश्चित रूप से गाय पालते होंगे, भैंस पालते होंगे, पशुधन को पालते होंगे, डेयरी को बढ़ावा दीजिए इसमें । डेयरी की पढ़ाई हो यहां, इसलिए मैं संशोधन दिया हूं । अगर 'डेयरी' मंत्रीजी नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि इस देश को यह सरकार कंगाल बनाकर रखना चाहती है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि -

'' विधेयक के खंड-2 के मद (ग) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''कला'' और शब्द ''अभियांत्रिकी'' के बीच शब्द ''डेयरी'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''कि विधेयक के खंड-2 के मद (घ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

'' डिप्लोमा से अभिप्रेत है इण्टरमीडिएट के बाद का सर्टिफिकेट कोर्स ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए लाया है कि यहां इण्टरमीडियट के बाद के कोर्स की ज्यादा जरूरत है । इनकी परिभाषा स्नातक के बाद की है और ऐसा कोई कोर्स मेरी जानकारी में राज्य के महाविद्यालयों में नहीं चल रहा है । संभवत: भूलवश इन्होंने परिभाषित कर दिया है । इसलिए यह प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''कि विधेयक के खंड-2 के मद (घ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

'' डिप्लोमा से अभिप्रेत है इण्टरमीडिएट के बाद का सर्टिफिकेट कोर्स ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खण्ड -2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-3 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूं

''कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''(4) परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय सभी प्रमंडल मुख्यालय में होगा ।''

हुजूर, उच्चतर शिक्षा के लिए परिषद् की स्थापना कर रहे हैं और उसका एक ही मुख्यालय होगा पटना में । अब बोलिए, एक पटना में बैठ करके संपूर्ण बिहार के उच्च शिक्षा को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है ? इसीलिए सभी प्रमण्डल के मुख्यालय में इसके क्षेत्रीय कार्यालय बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘ विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

‘‘(4) परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय सभी प्रमंडल मुख्यालय में होगा ।’’

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न: 21/कृष्ण/28.03.2018

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"खंड 3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 4 में 9 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ? (अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

“विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (क) के शब्द समूह "शिक्षा/उच्चत्तर शिक्षा" को शब्द समूह शिक्षा विभाग से प्रतिस्थापित किया जाय । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (क) के शब्द समूह शिक्षा/उच्चत्तर शिक्षा को शब्द समूह शिक्षा विभाग से प्रतिस्थापित किया जाय । ”

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय । आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

“विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ख) के प्रथम पंक्ति के शब्द "एक" को शब्द " दो" से प्रतिस्थापित किया जाय एवं द्वितीय पंक्ति के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"जिसमें एक कार्यालय प्रभारी तथा दूसरा निरीक्षी प्रभारी ।”

जो संरचना दिये हैं परिषद् की जिसमें (ख) आप देखेंगे उपाध्यक्ष अभिलेख से प्रोफेसर रैंक के एक प्रख्यात शैक्षणिक प्रशासक होंगे । इसमें इनको कहा हूं कि "एक" के बदले "दो" कीजिये । एक निरीक्षी का काम करेंगे और एक कार्यालय का काम करेंगे ।

मंत्री जी को इससे सहयोग मिलेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ख) के प्रथम पंक्ति के शब्द "एक" को शब्द "दो" से प्रतिस्थापित किया जाय एवं द्वितीय पंक्ति के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"जिसमें एक कार्यालय प्रभारी तथा दूसरा निरीक्षी प्रभारी ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: अगला संशोधन, माननीय सदस्य श्री रामेदव राय, क्या आप अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री रामदेव राय : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (झ) के प्रथम पंक्ति के शब्द " उच्च " एवं शब्द "शिक्षा" के बीच शब्द समूह प्राथमिक एवं उच्च्तर अंत:स्थापित किया जाय ।"

महोदय, मैं चाहता हूं कि निदेशक, उच्च शिक्षा इसमें जोड़ दिया जाये, निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एंव प्राथमिक शिक्षा किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (झ) के प्रथम पंक्ति के शब्द " उच्च " एवं शब्द "शिक्षा" के बीच शब्द समूह प्राथमिक एवं उच्च्तर अंत:स्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी,आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ठ) के प्रथम पंक्ति के शब्द "प्रावैधिकी" एवं शब्द "संस्कृति" के बीच शब्द "कला" अंत:स्थापित किया जाय तथा इस मद के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"मनोनयन के समय राज्य सरकार लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार, कवि आदि से भी प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहेंगे । "

माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ठ) के प्रथम पंक्ति के शब्द "प्रावैधिकी" एवं शब्द "संस्कृति" के बीच शब्द "कला" अंत:स्थापित किया जाय तथा इस मद के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"मनोनयन के समय राज्य सरकार लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार, कवि आदि से भी प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहेंगे । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ठ) के अंतिम पंक्ति शब्द व्यक्ति एवं शब्द सदस्य के बीच शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम पी0एच0डी0 हो तथा जिनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हो । "

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि ताकि सदस्य मेधावी व्यक्तियों को बनाया जाय, ऐसा न हो कि पैरवी के आधार पर सदस्य बना दिया जाय। जिनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया होगा वे निश्चित ही मेधावी होंगे और ऐसे व्यक्ति के सदस्य बनने से परिषद् गुणवत्तापूर्ण काम कर सकेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ठ) के अंतिम पंक्ति शब्द व्यक्ति एवं शब्द सदस्य के बीच शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम पी0एच0डी0 हो तथा जिनका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हो । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मूव नहीं करूंगा ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी का । आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय , मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ढ़) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

जिनकी राष्ट्रीय ख्याति हो तथा जिनके कम से कम दो शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के हों । "

महोदय, यह संशोधन भी उसी से मिलता-जुलता है और संशोधन देने का मेरा उद्देश्य है कि मेधावी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 4 के उपखंड (1) के मद (ढ़) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

जिनकी राष्ट्रीय ख्याति हो तथा जिनके कम से कम दो शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के हों । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 5 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक के खंड 5 के मद (ड.) के बाद एक नया मद निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

(च) राज्य सरकार में किसी पद पर रहा हो । "

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया है क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है । परिषद् में अच्छे और गुणवान व्यक्ति आ सकें इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है । सरकारी सेवक तो 60 वर्ष तक सेवा करते ही हैं फिर उनकी पुनर्सेवा लेने की क्या आवश्यकता है । एक तरफ जनप्रतिनिधियों के रिटारमेंट पर बहस हो रही है और दूसरी तरफ रिटायर्ड सरकारी सेवकों के लिये द्वार खोला जा रहा है । परिषद् को अगर कल्याणकारी एवं सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो इस सोच को बदलने की जरूरत है । इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" विधेयक के खंड 5 के मद (ड.) के बाद एक नया मद निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

(च) राज्य सरकार में किसी पद पर रहा हो । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड 5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-22/सत्येन्द्र/28-3-18

अध्यक्ष: खंड-6 में 5 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-6 के उपखंड (1) के प्रथम पंक्ति के अंक ''75'' के स्थान पर अंक ''70'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि 75 वर्ष की आयु तक तो सारे अंग शिथिल होने लगते हैं, भूलने सहित दुनिया भर की बीमारी से लोग ग्रस्त हो जाते हैं । होना तो यही चाहिए कि 65 वर्ष से अधिक के लिए पात्रता नहीं हो लेकिन यदि रखा जाना भी चाहिए तो 70 वर्ष से अधिक सोचा भी नहीं जाना चाहिए इसलिए महोदय, इसे स्वीकार करना चाहिए ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-6 के उपखंड (1) के प्रथम पंक्ति के अंक ''75'' के स्थान पर अंक ''70'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन, श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-6 के उप खंड (2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''नियुक्ति'' एवं शब्द ''राज्य'' के बीच शब्द समूह '' राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि एक व्यक्ति द्वारा नियुक्ति में कुछ कमियां हो सकती है परन्तु यदि समिति द्वारा चयन कर नियुक्ति राज्य सरकार करेगी तो नियुक्ति में न सिर्फ पारदर्शिता रहेगी बल्कि किसी आरोप से भी सरकार बचेगी । अत: इस संशोधन को सरकार से स्वीकार करने का अनुरोध करता हूॅं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-6 के उप खंड(2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''नियुक्ति'' एवं शब्द ''राज्य'' के बीच शब्द समूह '' राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अगला संशोधन, माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

'' विधेयक के खंड-6 के उप खंड (3) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''पात्र'' एवं शब्द ''होंगे'' के बीच शब्द ''नहीं'' अंत:स्थापित किया जाय ।

महोदय, मैंने ये संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि कार्यकाल मिलने की आशा में सदस्य अपने मौलिक कर्त्तव्य न भूल जायें और येन केन प्रकारेण अगला कार्यकाल बढ़वाने के प्रयास में जुटे रहें इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-6 के उप खंड(3) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''पात्र'' एवं शब्द ''होंगे'' के बीच शब्द ''नहीं'' अंत:स्थापित किया जाय ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय: महोदय...

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष: क्या करेंगे आप सुने ही नहीं ।

श्री रामदेव राय: महोदय, इसका मतलब कि आप भुखा गये हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं । मैं प्रस्ताव कर रहा हूॅं कि सदन की भावना माननीय मंत्री जी ईमानदारी, योग्यता और आपका मुरझाया हुआ चेहर देखकर अब मैं कोई प्रस्ताव मूव करने नहीं जा रहा हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रामदेव बाबू किसी का चेहरा कितना भी मुरझाया हुआ क्यों न हो, वह तो आपको देखते ही खिल उठता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी, मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में एक संशोधन है श्री रामदेव बाबू का, वे मूव नहीं करेंगे ।

श्री रामदेव राय: महोदय, जब मैं मूव नहीं कर रहा हूँ तो उस पर वोटिंग क्यों होगा ?

अध्यक्ष: कहां वोटिंग हो रहा है ?

श्री रामदेव राय: हां ,ना बोलवाते हैं सो ।

अध्यक्ष: रामदेव बाबू, आपके प्रस्ताव पर हम वोटिंग कराते हैं, आपके प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए और जब आप मूव नहीं करते हैं तो हम मूल खंड को लेते हैं । पूरे खंड में आप जो संशोधन देते हैं , जैसे अभी आपने 8 में कोई संशोधन नहीं दिया इसलिए हम उस पर वोटिंग नहीं करायेंगे और अब हम जो वोटिंग करायेंगे, वह प्रश्न सुनिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में एक संशोधन है जो रामदेव बाबू का है, वह नहीं मूव होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-11 में 17 संशोधन है। माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू मूव नहीं करेंगे ।

(मूव नहीं किया गया)

रामदेव बाबू को धन्यवाद देते हुए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में एक संशोधन है जो रामदेव बाबू का है वह मूव नहीं होगा इसलिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-13 में तीन संशोधन है । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"विधेयक के खंड-13 के दूसरी पंक्ति के शब्द "में" एवं शब्द "कर्मियों" के बीच शब्द समूह " अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों पर क्रमशः कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से " अंतःस्थापित किया जाय।"

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि स्वायतता का अनुभव बड़ा ही कड़वा है । विश्वविद्यालयों में स्वायतता है तो उस पर बार-बार प्रश्न उठता रहता है, इसी तरह से इंटरमीडियेट कौन्सिल में स्वायतता के आधार पर नियुक्तियां की गयी जिन्हें अभी हटाया गया है इसलिए राज्य में जो भी बहाली हो वह स्थायी हो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठे । इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही किया जाय ।

टर्न-23/मधुप/28.03.2018

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-13 के दूसरी पंक्ति के शब्द "में" एवं शब्द "कर्मियों" के बीच शब्द समूह "अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों पर क्रमशः कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से" अंतःस्थापित किया जाय।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी, अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"विधेयक के खंड-13 के सातवीं पंक्ति के शब्द 'नहीं' को विलोपित किया जाय ।"

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया है क्योंकि जब आप नियुक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग से करेंगे तो वह सरकारी होंगी। इसलिये यह संशोधन बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-13 के सातवीं पंक्ति के शब्द 'नहीं' को विलोपित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी का है जो मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-14 में एक संशोधन है जो माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का है जो मूव नहीं होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-15 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-16 में 5 संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का ही इसमें सभी 5 संशोधन है जो मूव नहीं होंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-16 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-17 में एक संशोधन है माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का, जो मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-17 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-18 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-18 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-19 में एक संशोधन है माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का, जो मूव नहीं होगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-19 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-20, 21 एवं 22 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-20, 21 एवं 22 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-20, 21 एवं 22 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-23 में दो संशोधन है । इसमें माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का संशोधन मूव नहीं होगा । अगला संशोधन श्री समीर कुमार महासेठ जी का है, मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"विधेयक के खंड-23 के बाद एक नया खंड 24 निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

"24 परिषद् के कार्यकलाप की दो वर्ष बाद समीक्षा यू0जी0सी0 अथवा भारत सरकार की किसी शैक्षणिक एजेंसी से कराई जायेगी और संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सरकार परिषद् को भंग करने का निर्णय लेगी ।"

महोदय, मैंने यह धारा इसलिये जोड़े जाने का प्रस्ताव किया क्योंकि हमलोग एक तरफ से निगम/बोर्ड/प्राधिकार बनाते रहते हैं फिर भंग कर देते हैं । इंटरमीडिएट काउंसिल भंग हो गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग भंग हुआ जिसे फिर से बनाया गया । कोई बोर्ड हो, प्राधिकार हो, उसे बहुत लम्बी अवधि के बाद भंग नहीं किया जाय इसलिये दो वर्ष में ही आकलन कर लिया जाय कि यह परिषद् दिये गये दायित्वों के निर्वहन में सक्षम है अथवा नहीं और इसका आकलन भी केन्द्रीय एजेन्सी से कराया जाना चाहिये । इसलिये हमारी माँग है कि सरकार इसको स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-23 के बाद एक नया खंड 24 निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''24 परिषद् के कार्यकलाप की दो वर्ष बाद समीक्षा यू0जी0सी0 अथवा भारत सरकार की किसी शैक्षणिक एजेंसी से कराई जायेगी और संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सरकार परिषद् को भंग करने का निर्णय लेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-23 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-23 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-1 में दो संशोधन है । माननीय सदस्य श्री भोला यादव, संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य श्री भोला यादव अनुपस्थित)

इसमें अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का है, जो मूव नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रस्तावना में 4 संशोधन है और ये सभी 4 संशोधन माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का है जो मूव नहीं होंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोलें ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, इसमें एक हमारा सवाल है आपके माध्यम है कि इन्होंने जो लाया है और उसमें जो बातें आई हैं कि जब यह निरसन हो जायेगा, यह नया कानून बनने के बावत भी वह परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा, यह अपने-आप में विसंगति है । जब यह नया कानून प्रभावी हो जायेगा, प्रभावी होने के बावजूद जब फिर वह लागू होगा तो अपने-आप में इसमें विरोधाभास दिखता है । इसलिये इन चीजों पर सरकार को विचार करना चाहिये चूंकि जब लागू हो जायेगा तो ये कंडक्ट करेगा, फिर वही कैसे करायेगा ? आपस में यह कंट्राडिक्शन है । इसलिये इसमें निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के इंटरमीडिएट काउंसिल, सीनेट, सिंडिकेट, कहीं भी जन-प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व, विधायक का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया । आखिर सरकार की मंशा क्या है?

....क्रमशः ....

टर्न-24/आजाद/28.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री विजय शंकर दूबे : पहले सारे जगहों में सिनेट, सिंडिकेट, यूनिवर्सिटी में, इन्टरमिडिएट काउंसिल में विधायक हुआ करते थे और परिषद् जो गठन हुआ है, उसमें भी नहीं हैं। कौन सा दिशा देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी, जरा अपना विचार इसमें बताये । सब जगह से जनप्रतिनिधियों को, लोकतंत्र में महोदय मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसी संस्थाओं में जनप्रतिनिधि का होना नितान्त आवश्यक है । इसीलिए जब से यह सिस्टम बना, तब से सभी यूनिवर्सिटियों में विधायक का प्रतिनिधित्व हुआ करता था और आज जो गिरावट है, इसी कारणों से जनप्रतिनिधियो का समावेश नहीं है ।

इसलिए महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप भी विद्वान हैं, आपने देखा होगा शुरू से कि जनप्रतिनिधियों का समावेश, प्रवेश यूनिवर्सिटी में, इन्टर काउंसिल में, सिनेट, सिंडिकेट में, कॉलेज में सब जगह हुआ करता था और सब जगह से विधायकों का प्रतिनिधित्व खतम कर दिया गया । सरकार की क्या मंशा है, यह बहुत गड़बड़ बात है और सरकार को इसपर पुनर्विचार करना चाहिए और मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि जब आप बोलेंगे तो इस विषय पर सदन को विश्वास में लेना चाहेंगे, सदन को बताना चाहेंगे और राज्य की जनता को भी आप संदेश देना चाहेंगे कि आपने क्यों ऐसा किया ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहल मैं रामदेव बाबू के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उन्होंने सदन का काफी समय बचाया और हम सब लोगों को काफी राहत दिया, हम समझते हैं कि पूरे सदन के तरफ से इनको आभार व्यक्त करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए । हमारे तो ये अभिभावक हैं, हम पर रहम किया है, करम किया है, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं । इसके साथ-साथ सदन को..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनको धन्यवाद किस चीज का दे रहे हैं, इतना संशोधन दिये उसका या संशोधन मूव नहीं किये उसका ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, संशोधन देने के बावजूद मूव नहीं किये और सदन का समय इन्होंने बचाया, इसके लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने संशोधन के दौरान बहुत सारी बातें कही है और मैं समझता हूँ कि विधेयक को गहराई से अगर अध्ययन करेंगे तो जिन-जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया है, वह किसी न किसी रूप में इसमें सन्निहित है । इसलिए उनको बहुत ज्यादा शिकायत का अवसर नहीं है । मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा उच्चत्तर शिक्षा के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना लागू किया गया है । जिसे बिहार में लागू करने का निर्णय वर्ष 2013 में ही लिया गया है । इस योजना के तहत विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षण संस्थान में अधिक से अधिक संख्या में पहुँच सुनिश्चित करना, उनके गुणात्मक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना, सुविधाओं की उपलब्तता सुनिश्चित करना, उच्चत्तर शिक्षा के विकास हेतु भविष्योन्मुखी योजनायें तैयार करना आदि कार्यक्रम समाहित है । इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का योगदान 60:40 के समानुपातिक निर्धारित है । इस योजना का क्रियान्वयन राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के माध्यम से किया जाना है । यद्यपि राज्य में पूर्व से कार्यपालक आदेश से राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है । परन्तु इसके अधिनियम के माध्यम से गठित किया जाना अनिवार्य है। राज्य उच्चत्तर

शिक्षा परिषद् अधिनियम के स्तित्व में नहीं होने के कारण सम्प्रति राज्य सरकार को इस योजना के तहत उचित मात्रा में केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं हो रही थी ।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के सम्यक क्रियान्वयन हेतु तथा राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् को अधिनियम के माध्यम से गठित करने हेतु बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 आज सदन में गठित करने हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया है । राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् मुख्यत: उच्चत्तर शिक्षा के विकास हेतु निम्न कार्य सम्पादित करेगी ।

यह राज्य में उच्चत्तर शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में योजनायें तैयार करेगी, यह राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की विकास योजनाओं को अपने मंतव्य, अनुशंसा के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रसारित करेगा । यह उच्चत्तर शिक्षा में गुणवत्ता के निर्धारण एवं रख-रखाव हेतु सहायता प्रदान करेगा एवं आवश्यकतानुसार समाधान का सुझाव प्रस्तुत करेगा । यह महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को अद्यतन करने एवं उसमें नई विधाओं को शामिल करने का कार्य करेगा । विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा मुहैय्या करायेगा । राज्य में अनुसंधान आवश्यकताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा । राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए गठित अधिनियमों/परिनियमों पर परामर्श देगा । ये सारे इनके उद्देश्य हैं और मैं समझता हूँ कि ये अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति में अधिनियम बन जाने के बाद काफी सक्रियता के साथ इसमें अपना काम करने में सक्षम हो जायेगा ।

माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिया है कि माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि पूर्व से ही सिनेट एवं सिंडिकेट में माननीय विधायकों को सम्मिलित किया गया है ।

(व्यवधान)

सिनेट और सिंडिकेट में तो आपलोग हैं, हैं आपलोग । पुनर्गठित नहीं हुआ होगा लेकिन आप निश्चित रूप से सारे विश्वविद्यालयों में जो उस इलाके से आते हैं, उनको वहां नामजद किया जाता है । हम समझते हैं कि बहुत पहले से यह लागू है । इसलिए इसमें ज्यादा नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है और हम समझते हैं कि बिहार में शिक्षा का एक अच्छा माहौल बना है, एक नया वातावरण बना है और सारे लोगों के मन में एक नया विश्वास जगा है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है शिक्षा के मामले में, हम समझते हैं कि इस अधिनियम के स्वीकृत हो जाने के बाद ....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : माननीय सदस्य सिनेट में हैं, सिंडिकेट में नहीं हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : इस अधिनियम को लागू हो जाने के बाद बिहार में शिक्षा के माहौल में एक और क्रांति का सूत्रपात होगा । इसलिए हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी उच्चत्तर शिक्षा परिषद् का मामला है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक,2018 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-29 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, अब आज के बाद 4 दिनों का सार्वजनिक अवकाश है । उसमें सभा की भी कार्यवाही नहीं होगी । पुन: 2 अप्रील को हमलोग मिलेंगे, जिस दिन अन्य कार्यों के अलावा राजकीय विधेयक का व्यवस्थापन होगा और उसी दिन जैसा कि आपको विधिवत सूचना भी दी गई है, जो परम्परा है कि बजट सत्र की समाप्ति पर आप सबों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन होता है तो वह भी 2 तारीख को संध्या 8.00 बजे है । उसमें आप सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं अपने साथियों के साथ जो आज अभी अनुपस्थित हैं, उनको भी इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

ये माननीय सदस्यों के सम्मान में है । स्वाभाविक रूप से जो माननीय सदस्य हैं, वही सम्मानित होंगे ।

श्री रामदेव राय : महोदय, पहले परम्परा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री सभी माननीय सदस्यों को अपने घर पर बुलाकर के अल्पाहार भी करा देते थे । हमारे मुख्यमंत्री जी इतने गरीब और कंजूस हैं कि एक गिलास पानी भी इनसे नहीं जुड़ता है ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 2 अप्रील, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।